


**Implementation Schedule of U-DISE 2012-13 and Aadhaar Friendly Child Wise Data Collection
Jharkhand**

Sl. No.	Activity	Level	Time Frame	Responsibility	(Working Members), Participants
1	Printing of U-DISE DCF (through Software) and Instruction Manual	District	30 Oct - 05 Nov, 2012	District Programme Officer	(District MIS Team)
2	Printing of Aadhar Friendly Child wise DCF through Printers	District	30 Oct - 20 Nov, 2012	District Programme Officer	(District MIS Team)
3.	Training to District Task Force and Block Level Master Trainers	District	05-10 Nov' 2012	DPO/ACP	(ACP/MIS I/C), District task Force and Block Level Master Trainer
4	Training to HM/Acting HM for filling up DCFs along with distribution of School Report Cards	Block/ Cluster	21 Nov.- 15 Dec' 2012	DPO/ACP	(District Task Force and Block level personnel) Head Master / Head Teacher of all schools
5	Filling up of DCF	School	22 Nov - 17 Dec' 2012	School	School HM
6	Organizing JAN VACHAN and Checking of each and every filled format by Cluster Resource Person and SMC	School	24 Nov - 19 Dec. 2012	CRCC's/Cluster Resource Person	(CRP's/CRCC's) SMC/SMDC members
7	Collection of Filled formats at Block level	Cluster	Up to 20 Dec. 2012	CRCC's/Cluster Resource Person	(CRCC's/Cluster Resource Person)
8	25% Sample checking and verification of filled DCF by Block authorities	Block	21-30 Dec' 12	Block Education Extension Officer	(BEEO, BPO & BRP's)
9	Data Entry • U DISE DCF	Block	20 Dec'12 - 25 Jan'13	Block Education Extension Officer	(BEEO's) Block MIS co-ordinator, Data Entry Operator-MIS
10	Data Entry • Child wise DCF and Error Checking	Block	15 Jan' 13-15 Feb' 13	Block Education Extension Officer	(BEEO's) Block MIS co-ordinator, DEO-MIS)
11	Block level U-DISE data merging at District level	District	25-30 Jan' 13	ACP	(ACP, Block level MIS)
12	10% Sample checking and verification of filled DCF by District Authorities(DTF)	District	27 Dec-27 Jan '13	District Programme Officer	(District Task Force)
13	U-DISE Data Sharing and consistencies checking & error removing	District	01 Feb - 05 Feb'13	DPO, ACP	(ACP) District Task Force, BEEOs, Computer Operators

Sl. No.	Activity	Level	Time Frame	Responsibility	(Working Members), Participants
14	Submission of U-DISE data to State Level	District	Up to 15th Feb'13	DPO	(ACP)
15	Child wise Data submission to District	Block	Up to 28 th Feb'13	BEEEO	(Block MIS team)
16	Child wise data Compilation	District	Up to 15 th March'13	ACP	District and Block MIS team
17	Sharing of Child report Card with BRC officials	District	Up to 15 th March'13	DPO/ACP	(District task force BEEEOs)
18	Childwise data Error Correction Integration of Child wise Data with U-DISE	District	Up to 28 Feb. 2013	District Programme Officer	(District MIS team)
19	Submission • Child wise data to state • Integrated U-DISE	District	Up to 15 th March'13	District Programme Officer	(District MIS team)
20	Compilation and analysis of U-DISE at state level	State	20-31Jan'13	State MIS Coordinator	(State MIS Team)
21	Necessary correction of data through District-(U-DISE)	State	Up to 15 Feb.2013	State MIS Coordinator	(State & District MIS Team)
22	Submission of U-DISE data to National level	State	20 Feb' 2013	SPD	(State MIS Coordinator)
23	5 % sample checking through monitoring institution (Process starts)	State	25 th Nov 2012	SPD	Monitoring Agency
24	5 % sample checking through monitoring institution (Process ends)	State	15 March 2013	State MIS Coordinator	Monitoring Agency



एकीकृत जिला शैक्षिक सूचना-प्रणाली

U-DISE

(Unified District Information System for Education)

आँकड़ा संग्रह प्रपत्र-सह-मार्गदर्शिका

शैक्षणिक सत्र 2012-13
(आधार तिथि: 30.09.2012)

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

विद्यालय का नाम :

विद्यालय का डायस कोड :

संकुल संसाधन केन्द्र का नाम :

राजस्व प्रखण्ड का नाम :

राज्य परियोजना कार्यालय

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची
न्यू को-ऑपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची-834024

दूरभाष: 0651-2412028, 2410519 फैक्स: 0651-2410528

website :www.jepc.nic.in, E-mail : jepcranchi@rediffmail.com, jepcranchi1@gmail.com

प्रपत्र के सभी अनुच्छेदों को भरना अनिवार्य है । सभी अनुच्छेदों के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिस पढ़कर ही आँकड़ा संग्रह प्रपत्र (DCF) भरें ।

U-DISE के आँकड़े प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों या ऐसे सभी विद्यालयों/कॉलेजों से एकत्र किया जाना है जहाँ कक्षा I से XII के बीच के किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती है ।

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 13(2) तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय/कॉलेज को U-DISE हेतु सूचनाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।
2. विद्यालय रजिस्टर एवं दूसरे कार्यालयी अभिलेख के आधार पर DCF (आँकड़ा संग्रह प्रपत्र) में सही एवं प्रमाणिक आँकड़ों की प्रविष्टि की जानी चाहिए । आँकड़े भरे जाने से पूर्व नामांकन पंजी, उपस्थिति पंजी से असत्य (False) एवं दोहरे (Duplicate) आँकड़ों को हटा लेना है ।
3. उन मदों की स्थिति को छोड़कर (जिसके लिए विशेष रूप से यह नियत किया गया हो कि पूर्व या चालू शैक्षणिक वर्ष के आँकड़ों को ही उपलब्ध कराया जाय), प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर का आँकड़ा उपलब्ध कराया जाय । शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय से है ।
4. आँकड़ा सांख्यिक अंकों एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए ।
5. प्रपत्र पर घसीट कर नहीं लिखें । इसे साफ सुथरा रखा जाना चाहिए । गलत लिखावट के ऊपर नहीं लिखें इसके बदले गलत लिखावट को काट कर उसके बगल में साफ-साफ सही प्रविष्टि करें ।
6. प्रपत्र में जिस स्थान पर इसका प्रावधान किया गया है वही उपयुक्त कोड की प्रविष्टि होनी चाहिए । सही कोड भरने में सावधानी बरती जानी चाहिए ।
7. सही मदों को पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए । आवश्यक कोई अनुच्छेद या जगह खाली नहीं छोड़ा जाय ।
8. सभी आँकड़ों को विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या प्राचार्य द्वारा कार्यालय अभिलेख से सुनिश्चित होने के पश्चात् ही भरा जाना चाहिए । संबंधित शिक्षक को DCF (आँकड़ा संग्रह प्रपत्र) को भरने हेतु प्रशिक्षित होना चाहिए ।
9. स्थान/सुविधा की कमी या किसी अन्य कारणों से यदि दो विद्यालय एक ही भवन किन्तु अलग-अलग शीर्ष एवं प्रबंधन में चल रहे हैं तो दोनों विद्यालयों में प्रत्येक को अलग ईकाई मानकर अलग-अलग प्रपत्रों में आँकड़ों को भरा जाना चाहिए । यदि दो पालियों में एक ही शीर्ष एवं प्रबंधन में कोई विद्यालय चल रहा हो तो उसे एक ही विद्यालय के प्रधान द्वारा एक ही प्रपत्र में भरे जायेंगे ।
10. प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या प्राचार्य एवं ग्राम शिक्षा समिति (VEC)/विद्यालय प्रबंधन समिति(SMC)/विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC)के सदस्यों द्वारा आँकड़ों का सत्यापन जन-वाचन की बैठक आयोजित कर किया जाना चाहिए तथा प्रपत्र को जमा करने से पहले प्रपत्र के अंतिम पृष्ठ के उपयुक्त जगह पर उनको अपना पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित अंकित करना आवश्यक है ।
11. DCF को प्रखण्ड स्तर में समर्पित करने से पूर्व CRP/CRCC द्वारा सभी प्रपत्रों के आँकड़ों को सत्यापित किया जाना है तथा प्रपत्र के उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए आँकड़ों को अभिप्रमाणित करना है ।
12. BEE0/BPO के द्वारा खाली प्रविष्टि एवं गलतियों की सूक्ष्म जाँच की जानी चाहिए । इसके लिए 25 प्रतिशत नमूना (Random) लेकर आँकड़ों का प्रमाणीकरण किया जाना है । नमूने के आधार पर आँकड़ों के प्रमाणीकरण की जाँच तथा इसके निष्कर्ष से संबंधित एक प्रतिवेदन BEE0 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला स्तरीय MIS प्रभाग को समर्पित किया जाना चाहिए ।
13. शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर, 2012 को आधार तिथि मानकर आँकड़ों को भरा जाना है ।

क (I) विद्यालय सूचना अनुसूची

1. **विद्यालय का पूरा नाम** (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :.....
विद्यालय का पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जैसा कि अद्यतन कार्यालय अभिलेख में है, लिखा जाना चाहिए ।
2. **विद्यालय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में अवस्थित है (ग्रामीण=1 एवं शहरी=2) :**.....
यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है तो कोड '1' अंकित करें । यदि शहरी क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है तो '2' अंकित करें । यह वर्गीकरण नवीनतम जनगणना सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए । शहरी/ग्रामीण वर्गीकरण के लिए जिला जनगणना पुस्तिका का अवलोकन किया जा सकता है ।
3. **टोला (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) / मुहल्ला (शहरी क्षेत्र के लिए) का नाम :**
यदि विद्यालय किसी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हो तो टोला के नाम का उल्लेख करें । शहरी क्षेत्र में अवस्थित हो तो मुहल्ला का नाम लिखें ।
4. **राजस्व गाँव (ग्रामीण क्षेत्र) / वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र) का नाम :**
विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित होने की स्थिति में इसके राजस्व ग्राम के नाम को अंकित करें । शहरी क्षेत्रों की स्थिति में वार्ड संख्या / अधिसूचित क्षेत्र का उल्लेख करें । राजस्व कर्मचारी से यह जाना जा सकता है ।
5. **पिन कोड :**
विद्यालय जहाँ अवस्थित है उस ग्राम/टोला का डाक सूचकांक (PIN) कोड उल्लेख करें, यह कोड नजदीक के डाकघर से जाना जा सकता है ।
6. **राजस्व पंचायत का नाम** (सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए) :
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिस पंचायत में विद्यालय अवस्थित है उस पंचायत के नाम का उल्लेख करें ।
7. **संकुल संसाधन केन्द्र का नाम (सी.आर.सी.)* :**
संकुल संसाधन केन्द्र का नाम लिखें जिससे विद्यालय संलग्न है । संकुल संसाधन केन्द्र का नाम एक विद्यालय का नाम होता है ।
8. **राजस्व प्रखण्ड का नाम* :**
विद्यालय जिस राजस्व प्रखंड में अवस्थित है उस राजस्व प्रखण्ड का नाम लिखें।
9. **शैक्षणिक प्रखण्ड का नाम* :**
विद्यालय जिस शैक्षणिक प्रखंड में अवस्थित है उस शैक्षणिक प्रखण्ड का नाम लिखें।
10. **विधानसभा क्षेत्र का नाम* :**
विद्यालय जिस विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित है उस विधान सभा क्षेत्र का नाम लिखें।
11. **नगर निगम/अधिसूचित क्षेत्र का नाम* :**
यदि विद्यालय नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित है उस नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्र का नाम लिखें ।
12. **शहर का नाम (यदि लागू हो) :**
यदि विद्यालय शहरी में विद्यालय अवस्थित है उस शहर का नाम लिखें । जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है इसे न भरे।

13. **फोन / मोबाईल नम्बर :**

फोन/मोबाईल नम्बर	एस.टी.डी. कोड	लैंड लाइन नम्बर	मोबाईल नम्बर
कार्यालय / प्रधान शिक्षक का			
शिक्षक जिसने प्रपत्र भरा हो			
ई-मेल :	वेब साईट:		

विद्यालय का फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) तथा प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक का मोबाइल नम्बर लिखें । जिस शिक्षक के द्वारा प्रपत्र भरा जा रहा है, उसका फोन न. (एस.टी.डी. कोड सहित) तथा मोबाइल नम्बर भी लिखें ।

14. विद्यालय की श्रेणी :
विकल्प जैसा लागू हो उसका कोड भरें ।

1. **केवल प्राथमिक** : विद्यालय जिसमें सिर्फ प्राथमिक कक्षाएँ (I-V) संचालित करने का प्रावधान हो उसे केवल प्राथमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
2. **प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक** : यदि विद्यालय में वर्ग I से VIII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो विद्यालय प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए । यदि विद्यालय को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उत्क्रमित किया गया है, तथापि वर्तमान में उच्चतम कक्षा V/VI/VII ही है तो ऐसी स्थिति में भी विद्यालय की श्रेणी प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक होगा ।
3. **प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक** : यदि विद्यालय में वर्ग I-XII तक कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो ऐसे विद्यालय को प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
4. **केवल उच्च प्राथमिक** : ऐसे विद्यालय जिसमें सिर्फ वर्ग VI से VII/VIII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो उसे केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
5. **उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक** : जहाँ कक्षा VI से कक्षा XII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
6. **प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक** : यदि विद्यालय में कक्षा I से कक्षा X तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो ऐसे विद्यालय को प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए । यदि विद्यालय को मध्य विद्यालय से माध्यमिक में उत्क्रमित किया गया है, तथापि वर्तमान में उच्चतम कक्षा VIII/IX ही है तो ऐसी स्थिति में भी विद्यालय की श्रेणी प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक होगा ।
7. **उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक** : यदि विद्यालय में कक्षा VI से कक्षा X तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।

15. विद्यालय में निम्नतम कक्षा :
सबसे निचली कक्षा को दर्शाएँ, जिसमें विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है । इस उद्देश्य के लिए सबसे निचली कक्षा को दर्शाते हुए इसमें आँगनबाड़ी, बालबाड़ी या पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख नहीं करें ।

16. विद्यालय में उच्चतम कक्षा :
सबसे उच्चतम कक्षा का उल्लेख करें, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हों । कुछ विद्यालयों में विद्यालय खुलने के प्रारंभिक वर्षों में ऊँची कक्षाओं में बच्चे नामांकित नहीं भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में जिस उच्चतम कक्षा तक वर्तमान में पढ़ाई हो रही हो उसी का उल्लेख करें । उत्क्रमण की स्थिति में ज्यों भी कि विद्यालय उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हो गया है, परन्तु वर्तमान में विद्यालय में उच्चतम कक्षा क्रमशः V, VI, VII या VIII, IX हो सकता है, ऐसी स्थिति में जिस उच्चतम कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हों, उस कक्षा का उल्लेख करें ।

17. विद्यालय का प्रकार (केवल बालक=1, केवल बालिका=2, सहशिक्षा=3)

प्रारंभिक स्तर :

उपयुक्त विकल्प जो लागू हो उसका कोड लिखें, जैसे बालक/बालिका/सह-शिक्षा । यद्यपि विद्यालय के नाम से स्पष्ट होता हो कि यह विद्यालय मात्र बालक या बालिकाओं के लिए है, जबकि व्यवहार में वह विद्यालय सह-शिक्षा का हो सकता है । यह विद्यालय श्रेणी (3) के अन्तर्गत आयेगा । विद्यालय का कोड निम्नरूपेण निर्धारित किया गया है । यदि विद्यालय में कुछ कक्षाओं में मात्र लड़कों या लड़कियों का नामांकन किया जाता है, परन्तु शेष कक्षाओं में लड़के एवं लड़कियाँ दोनों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय सह-शिक्षा की श्रेणी में लिया जाना है ।

1. **केवल लड़कों के लिए** : विद्यालय के सभी कक्षाओं में मात्र लड़कों का नामांकन किया जाता है ।

2. केवल लड़कियों के लिए : विद्यालय के सभी कक्षाओं में मात्र लड़कियों का नामांकन किया जाता है ।
3. सह-शिक्षा : विद्यालय के किसी भी कक्षा में लड़कें एवं लड़कियाँ दोनों का नामांकन होता है ।

18. विद्यालय का प्रबंधन :

प्रारंभिक स्तर :

विकल्प जो लागू हो उसका कोड लिखें । विद्यालय प्रबंधन से संबंधित कोड निम्नरूपेण निर्धारित है

1. शिक्षा विभाग : विद्यालय जो झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णरूपेण संचालित, राज्य सरकार के अधीन स्वतंत्र ईकाई, DPEP/SSA के अन्तर्गत खोला गया/उत्कृष्ट किया गया है इस श्रेणी में आते हैं । इनके अलावे बुनियादी विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय इसी श्रेणी में आते हैं ।
2. जनजातीय/समाज कल्याण विभाग : राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण या समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्णरूपेण संचालित एवं वित्त पोषित विद्यालय इस श्रेणी में आते हैं ।
3. स्थानीय निकाय : जैसे विद्यालय जो नगर निगम, म्युनिसिपल कमिटी आदि के द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित हो, इस श्रेणी में आते हैं ।
4. सरकारी सहायता प्राप्त : जैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय जो व्यक्तिगत या ट्रस्ट या निजी संगठन द्वारा चलाया जाता हो और स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से नियमित रूप से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करता हो इस श्रेणी में आते हैं । ऐसे मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक यथा मिशनरी, मकतब-मदरसा विद्यालय को इस श्रेणी में शामिल किया जाना है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान दिया जाता हो ।
5. निजी असहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त) : जैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय जो व्यक्तिगत या निजी संगठन द्वारा चलाया जाता हो तथा उसे स्थानीय निकाय या सरकार द्वारा नियमित रूप से कोई अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध नहीं होता हो इस श्रेणी में आते हैं । जैसे विद्यालय जिसे किसी खास उद्देश्य के लिए जैसे भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षकों के वेतन इत्यादि के लिए किसी समय सब्सिडी इत्यादि के लिए तदर्थ अनुदान मिला हो किन्तु नियमित रूप से अनुरक्षण अनुदान नहीं मिलता हो, उसे इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए । ऐसे मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक यथा मिशनरी, मकतब-मदरसा विद्यालय को शामिल किया जाना जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान नहीं दिया जाता हो, इस श्रेणी में आते हैं । मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय भी इसी श्रेणी में आते हैं ।
6. अन्य : ऐसे विद्यालय जो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 97, 98 किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं वह अन्य की श्रेणी में आएंगे एवं कोड 6 भरेंगे ।
7. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित : इसमें ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय को शामिल किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित एवं वित्त पोषित हो अथवा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित हो । इनमें केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रेलवे एवं सैनिक विद्यालय आदि शामिल हैं ।
8. गैर मान्यता प्राप्त : इसमें ऐसे निजी विद्यालय को शामिल किया जाना चाहिए जिसे झारखण्ड सरकार, ICSE/CBSE या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त नहीं है ।
97. मान्यता प्राप्त मदरसा (मदरसा बोर्ड/वक्फ बोर्ड से) : इसमें ऐसे मदरसों को शामिल किया जाना चाहिए जिसे मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त है परन्तु उन्हें राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।
98. गैर मान्यता प्राप्त मदरसा : इसमें ऐसे मदरसों को शामिल किया जाना चाहिए जिसे मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त नहीं है ।
11. NCLP : इसमें ऐसे बाल श्रमिक विद्यालय जो NCLP Programme के तहत संचालित है ।

19. विद्यालय की दूरी (कि.मी. में)

क) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) से :..... ख) संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.) से :.....
दूरी किलोमीटर में :

(क) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) से सड़क/रेलमार्ग द्वारा विद्यालय तक की न्यूनतम दूरी पूर्ण किलोमीटर में लिखें। अगर विद्यालय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) में ही अवस्थित है तो '0' अंकित करें । दशमलव का प्रयोग नहीं करें केवल पूर्णांक का ही उल्लेख किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए - 1, 2, 3... ।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र से विद्यालय तक की न्यूनतम दूरी सड़क/रेलमार्ग से किलोमीटर में उल्लेख करें ।

20. विद्यालय जिस टोला में अवस्थित है क्या वह टोला पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है ? :

(हाँ=1, नहीं=2)

विद्यालय जिस टोला में अवस्थित है यदि वह टोला पक्की सड़क से जुड़ा हुआ हो तो '1' एवं यदि नहीं जुड़ा है तो '2' भरा जाएगा ।

21. औपचारिक विद्यालय के रूप में विद्यालय स्थापना का वर्ष :
औपचारिक रूप में विद्यालय के प्रारंभ/स्थापना के वर्ष को दर्ज करें । (ई.जी.एस. केन्द्र की स्थिति में ई.जी.एस. केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमण के वर्ष को लिखा जाना चाहिए, न की ई.जी.एस. खुलने के वर्ष को) विद्यालय में उपलब्ध कार्यालय अभिलेख से वास्तविक स्थापना के वर्ष को सत्यापित करें ।

22. विद्यालय को पूर्ववर्ती बिहार सरकार/झारखंड सरकार/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से मान्यता प्राप्ति का वर्ष: प्रारंभिक स्तर :
विद्यालय के विभिन्न स्तरों को पूर्ववर्ती बिहार सरकार / झारखंड सरकार / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से जिस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई हो उसका वर्ष भरा जाएगा । सरकारी विद्यालयों की स्थिति में उसकी औपचारिक स्थापना का वर्ष / उत्क्रमण का वर्ष ही उसकी मान्यता प्राप्ति का वर्ष माना जायेगा ।

24. यदि विद्यालय उत्क्रमित हुआ हो तो उत्क्रमण का वर्ष :

(क) प्राथमिक (I-V) से उच्च प्राथमिक (I-VIII)	(ख) प्रारंभिक से माध्यमिक (XI-X)	(ग) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (XI-XII)
.....

(क) विद्यालय का प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उत्क्रमण का वर्ष : यदि विद्यालय प्राथमिक से मध्य विद्यालय में उत्क्रमित हुआ हो तो, विद्यालय का प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उत्क्रमण का वर्ष भरा जाएगा।

(ख) विद्यालय का प्रारंभिक से माध्यमिक में उत्क्रमण का वर्ष : यदि विद्यालय प्रारंभिक से माध्यमिक में उत्क्रमित हुआ हो तो, विद्यालय का प्रारंभिक से माध्यमिक में उत्क्रमण का वर्ष भरा जाएगा ।

(ग) विद्यालय का माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उत्क्रमण का वर्ष : यदि विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उत्क्रमित हुआ हो तो, विद्यालय का माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उत्क्रमण का वर्ष भरा जाएगा ।

25. क्या यह विद्यालय सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है (हाँ=1, नहीं=2) :
क्या विद्यालय में सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ही नामांकन होता है, यदि हाँ तो 1 अन्यथा 2 का उल्लेख किया जाएगा ।

26. क्या विद्यालय भवन का उपयोग एक ही विद्यालय द्वारा अलग-अलग पालियों में किया जाता है:
(हाँ=1, नहीं=2)

यह आँकड़ा उन पाली विद्यालय के लिए लागू है, जहाँ एक ही भवन को एक ही विद्यालय द्वारा अलग-अलग समय उपयोग में लाया जाता है । हाँ के लिए '1' या नहीं के लिए '2' का उल्लेख करें । स्थान/सुविधा की कमी या किसी अन्य कारणों से यदि दो विद्यालय एक ही भवन किन्तु अलग-अलग शीर्ष एवं प्रबंधन में चल रहे हैं तो दोनों विद्यालयों में प्रत्येक को अलग ईकाई मानकर अलग-अलग प्रपत्रों में आँकड़ों को भरा जाना है । यदि दो पालियों में एक ही शीर्ष एवं प्रबंधन में कोई विद्यालय चल रहा हो तो उसे एक ही विद्यालय के प्रधान द्वारा एक ही प्रपत्र में जोड़ कर कुल योग के आधार पर भरे जायेंगे ।

27. क्या विद्यालय आवासीय है (हाँ=1, नहीं=2):

यदि हाँ तो आवासीय विद्यालय का प्रकार :

(सरकारी आश्रम =1, सरकारी गैरआश्रम =2, निजी आवासीय =3, अन्य आवासीय =4, के.जी.बी.भी.=6 एवं कल्याण विभाग=10)

क्या विद्यालय आवासीय है : आवासीय विद्यालय के रूप में वे विद्यालय परिभाषित हैं जिसमें छात्रावास की सुविधा है तथा विद्यालय द्वारा छात्रों को रहने एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है, हाँ के लिए '1' एवं नहीं के लिए '2' भरे । आवासीय विद्यालयों की स्थिति में आवासीय विद्यालय का प्रकार अंकित करें । ऐसे विद्यालय जहाँ कुछेक

छात्रों के लिए ही नियमित आवासीय सुविधा उपलब्ध है और कुछ बच्चों प्रतिदिन घर से आते हैं तो ऐसे विद्यालय को भी आवासीय विद्यालय माना जायेगा ।

आवासीय विद्यालय निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जिसका कोड निम्न है :

1. आश्रम (सरकारी) जहाँ अन्य विषयों के अलावे धर्म की भी शिक्षा प्रदान की जाती है, के लिए कोड '1' भरें,
2. गैर आश्रम (सरकारी) जहाँ किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, के लिए कोड '2' भरें,
3. निजी आवासीय के लिए कोड '3' भरें,
4. अन्य आवासीय के लिए कोड '4' भरें,
5. कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए कोड '6' भरें,
10. कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए कोड '10' भरें ।

28. शिक्षा का माध्यम :

प्रारंभिक स्तर :

शिक्षा का माध्यम : सरकारी नियम के अनुसार शिक्षण के माध्यम के कोड का उल्लेख करें (दो अंकों में) । किसी विद्यालय का शिक्षा का माध्यम उस विद्यालय में पढ़ाई जा रही अन्य विषयों (यथा इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि) के माध्यम के आधार पर तय होगा । यदि अन्य भाषाओं की पढ़ाई सिर्फ एक विषय के रूप में करायी जाती है तो वह विषय उस विद्यालय का शिक्षा का माध्यम कदापि नहीं होगा । कोई विद्यालय एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था करता है, तो कृपया सभी को a/b/c/d में उल्लेख करें । विद्यालय के नाम से कभी भी शिक्षा का माध्यम तय नहीं करें ।

भाषाओं के लिए निम्नलिखित कोड दिये गये हैं :

बंगला	02	गुजराती	03	हिन्दी	04	उड़िया	12	पंजाबी	13
संस्कृत	14	उर्दू	18	अंग्रेजी	19	हो	30	संथाली	31
मुण्डारी	32	खड़िया	33	कुडुख	34				

30. विद्यालय का GIS आँकड़ा (यदि विद्यालय में उपलब्ध हो)

क) अक्षांश : ख) देशांतर :

31. क्या विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (आंगनबाड़ी केन्द्र को छोड़कर) की सुविधा है (हाँ=1, नहीं=2) :

यदि हाँ तो,

क) पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या :

ख) पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु कुल शिक्षकों की संख्या :

विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा : यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा (आंगनबाड़ी केन्द्र को छोड़कर) उपलब्ध है और कक्षा । से नीचे भी बच्चों का नामांकन कराया जाता है एवं उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो '1' लिखें । यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा की सुविधा नहीं है तो '2' अंकित करें । कोड 1 भरे जाने की स्थिति में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 30 सितम्बर 2012 को नामांकित कुल बच्चों एवं इस हेतु कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या का उल्लेख करें ।

32. क्या आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर में या विद्यालय के परिसर से सटे किसी भवन/कमरे में है

(हाँ=1, नहीं=2):

यदि हाँ तो,

क) आंगनबाड़ी में छात्रों की कुल संख्या :

ख) आंगनबाड़ी में कार्यरत कुल सेविकाओं की संख्या :

समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है । यदि विद्यालय परिसर में या फिर परिसर के किसी दीवार से सटे आंगनबाड़ी केन्द्र है तो कोड 1 भरें अन्यथा कोड 2 भरें । कोड 1 भरे जाने की स्थिति में -

- क. आंगनबाड़ी में नामांकित कुल बच्चों की संख्या भरें ।
ख. आंगनबाड़ी में कार्यरत कुल सेविकाओं की संख्या भरें ।

33. गत शैक्षणिक सत्र (01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012) का विवरण :

- क) शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या :.....
ख) संकुल साधनसेवी द्वारा किये गये शैक्षिक भ्रमणों की संख्या :.....
ग) प्रखण्ड साधनसेवी/पदाधिकारी द्वारा किये गये शैक्षिक भ्रमणों की संख्या :
घ) सी.डब्लू.एस.एन.(CWSN) रिसोर्स शिक्षक के द्वारा किये गये शैक्षिक भ्रमणों की संख्या :

(क) शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या : शैक्षणिक सुधार के उद्देश्य से विद्यालय के निरीक्षण के लिए राज्य सरकार के अधिकृत पदाधिकारी (BEEO, AEO, DSE, DEO, RDDE) द्वारा गत शैक्षणिक सत्र में किये गये उन निरीक्षणों जिसका विस्तृत विवरण विद्यालय पंजी में लिखा गया हो, उसकी गणना करनी चाहिए । सरकारी पदाधिकारी द्वारा किया गया सामान्य निरीक्षण जब निरीक्षण प्रतिवेदन लिखित रूप में न हो तो उसकी गणना शैक्षणिक निरीक्षण की संख्या में नहीं की जानी चाहिए ।

(ख) संकुल साधन सेवी द्वारा किये गये भ्रमण की संख्या : विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान संकुल संसाधन सेवी (C.R.Ps) द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन एवं अन्य उद्देश्यों से विद्यालय में कितनी बार भ्रमण किया गया उस संख्या का उल्लेख करें ।

(ग) प्रखंड साधन सेवी द्वारा किये गये भ्रमण की संख्या : विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रखंड साधन सेवी द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन एवं अन्य उद्देश्यों से विद्यालय में कितनी बार भ्रमण किया गया उस संख्या का उल्लेख करें

(घ) सी.डब्लू.एस.एन. रिसोर्स शिक्षकों के द्वारा किये गये भ्रमण की संख्या : विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान सी.डब्लू.एस.एन. रिसोर्स शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन एवं अन्य उद्देश्यों से विद्यालय में कितनी बार भ्रमण किया गया उस संख्या का उल्लेख करें ।

34. केवल सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों के लिए (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 का) :

34. विद्यालय कोष (01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक) (मध्याह्न भोजन एवं असैनिक कार्य योजना राशि को छोड़कर) :

	प्राप्त राशि (₹)	व्यय राशि (₹)
क) विद्यालय विकास अनुदान (एस.एस.ए. के अन्तर्गत)		
ख) विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एस.ए. के अन्तर्गत)		
ग) टी.एल.एम./शिक्षक अनुदान (एस.एस.ए. के अन्तर्गत)		
घ) अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि		

(क) विद्यालय विकास अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत) : गत वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल कितनी राशि विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी एवं उसमें से कितना व्यय किया गया ।

प्राथमिक कक्षाओं (I-V) के लिए मानक राशि 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये),

उच्च प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII) के लिए मानक राशि 7000/- रुपये (सात हजार रुपये) एवं

प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं (I-VIII) के लिए मानक राशि 12000/- (बारह हजार रुपये) है।

(ख) विद्यालय रख-रखाव/मरम्मत अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत) : गत वित्तीय वर्ष में SSA के अन्तर्गत तीन या तीन से कम कमरे वाले विद्यालय को मानक राशि 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये) तथा तीन से अधिक कमरे वाले विद्यालय को मानक राशि 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) की दर से कितनी राशि विद्यालय को उपलब्ध करायी गयी एवं उसमें से कितना व्यय किया गया ।

(ग) शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत) : विगत वित्तीय वर्ष में विद्यालय के सभी शिक्षकों को उपलब्ध करायी गयी TLM अनुदान की सम्पूर्ण राशि तथा व्यय की गई

राशि की प्रविष्टि इसमें की जाय । उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में कार्यरत दो शिक्षकों में से प्रत्येक को रूपये 500/- (पाँच सौ रूपये) की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी हो तो उसकी गणना कर कुल राशि रूपये 1,000/- (2 x 500) अंकित किया जाना चाहिए एवं उसमें से व्यय की गयी राशि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।

(घ) अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि (MDM एवं Civilworks को छोड़कर)- सरकारी अनुदान, दान, वृत्तिदान एवं समुदाय से सहयोग के रूप में प्राप्त निधि आदि को अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि मानते हुए गणना कर उसका उल्लेख करेंगे । मध्याह्न भोजन योजना एवं असैनिक निर्माण कार्य की राशि इसमें नहीं जोड़ा जाना है ।

35. शिक्षक की विवरणी (सभी प्रकार के विद्यालय हेतु)

	स्वीकृत पदों की संख्या					वर्तमान में कार्यरत संख्या				
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	कुल
क. सरकारी / नियमित शिक्षक										
ख. पारा शिक्षक / संविदा शिक्षक										
ग. पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर										

शिक्षक की श्रेणी : वैसे शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार उपलब्ध करानी है जो विद्यालय हेतु स्वीकृत तथा वर्तमान में कार्यरत हैं ।

इस भाग में उन्हीं शिक्षकों की संख्या भरी जानी चाहिए जो वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत हैं । किसी अन्य विद्यालय से प्रतिनियोजन पर आये शिक्षकों की संख्या भी वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में ही भरी जानी है । जो शिक्षक प्रतिनियोजन पर किसी अन्य विद्यालय में चले गये हैं अथवा किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियोजित हैं उन शिक्षकों की संख्या इस प्रपत्र में नहीं भरी जानी चाहिए । शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या यहाँ शामिल नहीं करें क्योंकि इनके संबंध में जानकारी अलग से तालिका संख्या 'थ' में मांगी गई है ।

(क) **सरकारी /नियमित शिक्षक :** नियमित वेतनमान पाने वाले सरकारी / निजी शिक्षक इस श्रेणी के अन्तर्गत आयेगे । इसके अन्तर्गत प्राचार्य/प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं पूर्णरूपेण समय देने के आधार पर कार्य करने वाले दूसरी श्रेणी के शिक्षक जो शिक्षण के लिए पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करते हों, आते हैं । अभिलेख अंकित करने की नियत तिथि को जो शिक्षक कार्य कर रहे हों, उन्हें कार्यरत शिक्षक की संख्या में गणना किया जाना चाहिए । थोड़े समय के लिए अवकाश पर गये शिक्षक या कार्यालय कार्य से गये शिक्षक को भी कार्यरत माना जाना चाहिए । प्राचार्य/प्रधान शिक्षक अगर शिक्षण में नहीं हों फिर भी उन्हें शिक्षक में सम्मिलित किया जाना चाहिए । शारीरिक प्रशिक्षक, संगीत शिक्षक, खेल-कूद शिक्षक जो नियमित वेतनमान पाते हों को भी शिक्षक में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

स्वीकृत पदों की संख्या - प्राथमिक(I-V), उच्च प्राथमिक (VI-VIII) माध्यमिक (IX-X or VIII-X), उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) तथा कुल के लिए अलग-अलग अंकित करें ।

कार्यरत संख्या - प्राथमिक(I-V), उच्च प्राथमिक (VI-VIII)माध्यमिक (IX-X or VIII-X), उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) तथा कुल के लिए अलग-अलग अंकित करें ।

(ख) **पारा शिक्षक/संविदा शिक्षक :** एस.एस.ए. के अन्तर्गत नियुक्त सामुदायिक या पारा शिक्षकों की गिनती इस श्रेणी में की जानी चाहिए । निजी विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक भी इसी श्रेणी में आते हैं । ऐसे शिक्षक सामान्यतः मानदेय पर नियुक्त किये जाते हैं और उन्हें नियमित वेतनमान नहीं दिया जाता है, परन्तु पूरे विद्यालय अवधि के दौरान ये विद्यालय में उपस्थित होते हैं ।

स्वीकृत पदों की संख्या - प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के लिए अलग-अलग अंकित करें ।

कार्यरत संख्या - प्राथमिक, प्रारंभिक के लिए अलग-अलग अंकित करें।

(ग) **पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर (आर.टी.ई. प्रावधान के अनुरूप):** ऐसे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर जो आर.टी.ई. प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में कक्षा VI-VIII के लिए नियुक्त किये गये हैं और पूरे विद्यालय अवधि के दौरान विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं और आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपनी सेवा विद्यालय को देते हैं । जैसे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य शिक्षा हेतु पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर ।

क. (II) विद्यालय सूचना अनुसूची (केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए)

1. शिक्षण दिवसों एवं विद्यालय अवधि की विवरणी

	प्राथमिक कक्षा के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए
कुल शिक्षण दिवसों की संख्या (अप्रैल 2011-मार्च 2012)		
अवधि (घंटा में) जब बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं (अप्रैल 2012-सितम्बर 2012)	-घंटा	-घंटा
अवधि (घंटा में) जब शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं (अप्रैल 2012-सितम्बर 2012)	-घंटा	-घंटा

कुल शिक्षण दिवसों की संख्या: गत शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012) में विद्यालय जितने दिनों के लिए शिक्षण कार्य हेतु खुला रहा उन दिवसों की संख्या अंकित की जानी है। इसमें आयोजित खेल दिवसों, सांस्कृतिक कार्यक्रम व परीक्षा दिवसों को भी शामिल किया जाना है। यह संख्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग-अलग अंकित की जानी है।

अवधि (घंटा में) जब बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं: वर्तमान शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012) में शिक्षण कार्य हेतु प्रतिदिन बच्चे जितनी अवधि के लिए विद्यालय में रहते हैं, इसमें खेल एवं मध्याह्न भोजन अवधि भी शामिल की जानी है, का उल्लेख घंटे में करें। उदाहरण के लिए यदि बच्चे विद्यालय 10.30 बजे से 4.15 बजे तक रहते हैं तो 5.45 घंटा लिखें।

अवधि (घंटा में) जब शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं : वर्तमान शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012) में शिक्षण कार्य हेतु प्रतिदिन शिक्षक जितनी अवधि के लिए विद्यालय में रहते हैं, इसमें शिक्षण तैयारी अवधि, सफाई अवधि, अन्य प्रशासनिक कार्यावधि, इत्यादि भी शामिल की जानी है, का उल्लेख घंटे में करें। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक विद्यालय 10.00 बजे से 4.30 बजे तक रहते हैं तो 6.30 घंटा लिखें।

2. क्या विद्यालय में प्रारंभिक स्तर (Elementary Stage) पर सतत् एवं व्यापक (Continuous and Comprehensive Evaluation) विधि से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है (हाँ=1, नहीं =2) :

यदि हाँ है तो

(क) क्या बच्चों के प्रगति से संबंधित आँकड़े संधारित किए जाते हैं (हाँ=1, नहीं =2) :

(ख) क्या बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित आँकड़ें अभिभावकों के साथ बाँटे जाते हैं। (हाँ=1, नहीं =2):

3.1 केवल मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए (वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 का) :

क) कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या, जिन्होंने RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन दिया (1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012) :

ख) कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या, जिन्हें RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया (1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012) :

क) 1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012 के बीच कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या, जिन्होंने RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन दिया है उनकी संख्या अंकित करें।

ख) 1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012 के बीच कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या जिन्हें RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया उनकी संख्या अंकित करें।

3.2 केवल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए (वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 का) :

- क) सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का प्रतिशत :
- ख) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में बच्चों की कुल संख्या जिन्हें निःशुल्क शिक्षा हेतु कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया
- क) विद्यालय को सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के प्रतिशत का उल्लेख करें ।
- ख) 1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के बीच बच्चों की संख्या जिन्हें निःशुल्क शिक्षा हेतु कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया की संख्या का उल्लेख करें ।

- 3.3 क्या विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee, SMC) का गठन किया गया है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0) :
- यदि हाँ है तो

क्र.सं	सदस्यों की विवरणी	पुरुष	महिलाएँ
क)	विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्यों की संख्या		
ख)	विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक/माता-पिता की संख्या		
ग)	विद्यालय प्रबंधन समिति में जन प्रतिनिधि/स्थानीय सरकार/नामित सदस्यों की संख्या		

घ) 1 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित कुल बैठकों की संख्या :

ड.) क्या विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना तैयार करता है (हाँ=1, नहीं=2) :

च) क्या विद्यालय में बच्चों की सूचनाएँ आर.टी.ई. के अनुरूप संधारित की जाती है (हाँ=1, नहीं=2) :

छ) क्या विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए अलग से बैंक खाता संचालित की जा रही है (हाँ=1, नहीं=2) :

यदि हाँ है तो

बैंक का नाम :

शाखा (ब्रांच) :

खाता संख्या :

खाता जिस नाम से है :

IFSC कोड :

केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए : यदि आर.टी.ई. के आलोक में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो ही निम्न सूचनाएँ भरी जानी हैं । विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति (VEC) से अलग संरचना है, जो आर.टी.ई. के आलोक में विद्यालय के लिए गठित की जानी है ।

यदि विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee, SMC) का गठन किया गया है तो हाँ के लिए '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें ।

यदि विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee, SMC) का गठन किया गया है उपरोक्त 'क' से 'छ' तक भरें ।

4. बच्चों के विशेष प्रशिक्षण का विवरण

(छ: वर्ष से अधिक उम्र के विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चे जिन्हें उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकित कराया गया है एवं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है/की जानी है ।)

विवरण	बालक	बालिका
क) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच नामांकित बच्चों की संख्या जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है		
ख) बच्चों की संख्या जिन्हें अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण दिया गया/जा रहा है		
ग) बच्चों की संख्या जिन्हें अप्रैल 2011-मार्च 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया		

घ) बच्चों की संख्या जिन्होंने अप्रैल 2011-मार्च 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण पूर्ण किया		
ड.) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच बच्चों को विशेष प्रशिक्षण किनके द्वारा दी जाती है (लागू नहीं=0, विद्यालय शिक्षक=1, विशेष रूप से लगाये गए शिक्षक=2, 1और2 दोनों=3, NGO =4, अन्य=5, कोई नहीं=6)		
च) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच बच्चों को विशेष प्रशिक्षण कहाँ दी जाती है, उसका कोड भरें (लागू नहीं=0, विद्यालय परिसर में=1, किसी अन्य जगह पर=2, 1और2 दोनों=3)		
छ) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण के प्रकार का कोड भरें (लागू नहीं=0, आवासीय=1, गैर आवासीय=2, दोनों=3)		
ज) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच शिक्षकों की संख्या, जो बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध है		
झ) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच शिक्षकों की संख्या, जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया है		
ञ) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच क्या बच्चों को विशेष प्रशिक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध कराई गई (लागू नहीं=0, हाँ=1, नहीं=2)		

5. शैक्षणिक सत्र की शुरुआत किस माह होती है (माह अंक के रूप में) :
- शैक्षणिक सत्र की शुरुआत किस माह होती है : जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 4, दिसम्बर के लिए 12 अंकित करें ।

6. केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए (वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 का) :

6. क्या विद्यालय को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में वितरण हेतु 30 सितम्बर 2012 तक पुस्तक प्राप्त हुई है (हाँ=1, नहीं=2) :.....
- यदि हाँ तो,
- क) पुस्तक वर्तमान सत्र हेतु पहली बार कब प्राप्त किया गयामाहवर्ष
- क्या विद्यालय को अप्रैल 2012-मार्च 2013 सत्र के लिए निःशुल्क वितरण हेतु पुस्तकें प्राप्त हुई है, हाँ के लिए '1' अन्यथा '2' लिखें । यदि हाँ तो, क) पुस्तक इस सत्र हेतु पहली बार कब प्राप्त किया गया, उसका माह एवं वर्ष अंकों में लिखें । उदाहरण के लिए : यदि कक्षा-V, VI एवं VII की सिर्फ हिन्दी की पुस्तकें मई 2012 में प्राप्त हुई तो माह '05' एवं वर्ष '2012' अंकित करें ।

7. कक्षावार पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री (TLE) एवं खेलकूद सामग्री की उपलब्धता :

	प्राथमिक कक्षाओं के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए
क्या प्राप्त पुस्तकों की पूर्ण सेट प्राप्त हुई है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)		
क्या शिक्षण अधिगम सामग्री (TLE) उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)		
क्या खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं =2, लागू नहीं =0)		

क्या प्राप्त पुस्तकों की पूर्ण सेट प्राप्त हुई है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)

यदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पुस्तकें सभी नामांकित बच्चों के लिए पूर्ण सेट में प्राप्त हुई है तो '1' अंकित करें, अपूर्ण सेट या कम बच्चों के लिए पुस्तकें प्राप्त होने की स्थिति में '2' अंकित करें ।

क्या शिक्षण अधिगम सामग्री (TLE) उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)

यदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए टी.एल.ई. उपलब्ध है, तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।

क्या खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं =2, लागू नहीं=0)

यदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए खेल-कूद सामग्री उपलब्ध है, तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें ।

ख (I). भौतिक सुविधाएँ, उपकरण एवं उपस्कर

1. **विद्यालय भवन की स्थिति :**
 (प्राइवेट=1, किराए पर=2, सरकारी भवन=3, सरकारी विद्यालय निःशुल्क भवन में=4, भवनहीन=5, जर्जर भवन=6, निर्माणाधीन भवन=7, राशि प्राप्त परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं =10)

विद्यालय भवन की स्थिति : विद्यालय के भवन जिसमें अध्यापन इत्यादि का कार्य होता है की स्थिति निम्नलिखित कोड द्वारा व्यक्त किया जाना है :

1. **प्राइवेट / निजी :** ऐसे निजी विद्यालय जिसका अपना निजी भवन है एवं उसपर किसी व्यक्ति, संस्था का स्वामित्व है तथा यह स्थानीय निकाय या सरकार का नहीं है तो इस तरह के भवन को निजी भवन कहा जायेगा । ऐसे भवन के लिए कोई किराया का भुगतान नहीं किया जाता है ।
2. **किराए पर :** व्यक्तिगत, निजी संस्था, स्थानीय निकाय या किसी सरकार द्वारा विद्यालय चलता हो तथा जिसके भवन हेतु किराया का भुगतान किया जाता हो ।
3. **सरकारी भवन :** इस श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी अन्य एजेन्सी (उदाहरण के लिए शिक्षा, जनजाति कल्याण, समाज कल्याण विभाग या अन्य विभाग) द्वारा विद्यालय का भवन जो शिक्षा उद्देश्यों के लिए सरकार के द्वारा बनाये गये हों, उसके अधीन रखे जायेंगे ।
4. **निःशुल्क भवन में सरकारी विद्यालय :** कुछ सरकारी विद्यालयों को सरकारी भवन नहीं है परन्तु इस कार्य के लिए समुदाय/व्यक्ति विशेष/संस्था द्वारा भवन/कमरा उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए कोई किराया का भुगतान नहीं किया जाता है ।
5. **भवनहीन :** बिना भवन के विद्यालय इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । ऐसे विद्यालय खुले आसमान के नीचे चलते हैं । निर्माणाधीन या ऐसे विद्यालय जिनको निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है इस श्रेणी में नहीं आयेंगे ।
6. **जर्जर :** ऐसे विद्यालय भवन जिसका पूरा भवन जर्जर स्थिति में हो, इस श्रेणी में आयेंगे ।
7. **निर्माणाधीन :** ऐसे भवनहीन विद्यालय जिसका वर्तमान में अपना कोई भवन नहीं है और उसमें नये विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, उसे निर्माणाधीन कोटि में रखा जायेगा । यदि विद्यालय में अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण या कोई मरम्मत कार्य किया जा रहा हो तो वह निर्माणाधीन की श्रेणी में नहीं आयेगा ।
10. **राशि प्राप्त परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं :** ऐसे भवनहीन विद्यालय जिसका वर्तमान में अपना कोई भवन नहीं है परन्तु निर्माण हेतु राशि प्राप्त हो चुकी है और वर्तमान में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हो सका है, उसे इस कोटि में रखा जायेगा ।

2. **वर्ग कक्ष की विवरणी एवं फर्नीचर की उपलब्धता :**

क)	वर्ग	कुल उपलब्ध वर्गकक्षों की संख्या	निर्माणाधीन कक्षा कमरों की संख्या	फर्नीचर की उपलब्धता (सभी छात्रों के लिए=1, कुछेक छात्रों के लिए =2, कुछ भी नहीं=3)
1.	प्रारंभिक कक्षाओं के (1-8) लिए			

प्रारंभिक(1-8) कक्षाओं के शैक्षणिक कार्य हेतु निर्मित/उपलब्ध वर्गकक्षों की संख्या, निर्माणाधीन कक्षा कमरों की संख्या एवं छात्रों के लिए उपलब्ध फर्नीचर की सूचना अलग-अलग भरें ।

ख) वर्गकक्ष को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या (प्रारंभिक स्तर के लिए) :
अन्य कमरों की संख्या : विद्यालय में प्रारंभिक स्तर एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपलब्ध अन्य कमरों यथा प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय कक्ष, रसोई, प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष इत्यादि अलग-अलग अंकित करें ।

घ) भौतिक स्थिति के अनुसार उपलब्ध वर्ग कक्षों/अन्य कमरों की संख्या :

	भवन का प्रकार	वर्ग कक्षों की संख्या			अन्य कमरों की संख्या		
		अच्छी स्थिति में	मरम्मत की आवश्यकता		अच्छी स्थिति में	मरम्मत की आवश्यकता	
			आंशिक (रु. 10,000 तक)	अत्यधिक (रु. 10,000 से अधिक)		आंशिक (रु. 10,000 तक)	अत्यधिक (रु. 10,000 से अधिक)
प्रारंभिक कक्षाओं (1-8) के लिए	क. पक्का						
	ख. आंशिक पक्का						
	ग. कच्चा						
	घ. टेन्ट						

वर्ग कक्षों की संख्या : विद्यालय में प्रारंभिक(1-8) हेतु निर्मित एवं उपलब्ध वर्ग कक्षों की संख्या, कमरों की भौतिक स्थिति के अनुसार यथा-अच्छी स्थिति में, आंशिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कमरों की संख्या एवं अत्यधिक मरम्मत वाले कमरों की संख्या अलग-अलग अंकित करें ।

अन्य कमरों की संख्या : प्रारंभिक(1-8) हेतु निर्मित एवं उपलब्ध अन्य कमरों यथा प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय कक्ष, रसोई, प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, शिक्षा विभाग का अन्य कार्यालय इत्यादि कमरे जो विद्यालय की संपत्ति है उसकी भौतिक स्थिति के अनुसार यथा-अच्छी स्थिति में, आंशिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कमरों की संख्या एवं अत्यधिक मरम्मत वाले कमरों की संख्या अलग-अलग अंकित करें ।

विद्यालय भवन का प्रकार (भवनहीन विद्यालयों के लिए लागू नहीं) : विद्यालय भवन का प्रकार निम्न है-

- (क) **पक्का :** विद्यालय भवन की दीवार पक्की ईंट या पत्थर का बना हो तथा छत ढाला हुआ या लकड़ी/लोहे की शहतीर पर तैयार पक्का छत या टाइल वाला हो तो उसे पक्का भवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- (ख) **आंशिक पक्का :** विद्यालय भवन की दीवार पक्की ईंट/पत्थर की तथा छत नालीदार चादरें या एसबेस्टस सीट या फूस का बना हो तो भवन को आंशिक पक्का भवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- (ग) **कच्चा :** विद्यालय भवन की दीवार कच्ची ईंट/मिट्टी की बनी हो और छत नालीदार चादरें या एसबेस्टस सीट या फूस का बना हो तो भवन को कच्चा भवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- (घ) **टेंट :** तिरपाल से आच्छादित तथा खूँटी एवं रस्सी के सहारे वाले ढाँचे में चलने वाले विद्यालय को टेंट विद्यालय के रूप में माना जाता है ।

3. **कक्षा कमरों के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता (हाँ=1, नहीं=2) :**
यदि विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्षा कमरों के निर्माण हेतु विद्यालय की खाली जमीन उपलब्ध है तो हाँ के लिए '1' अंकित करें अन्यथा नहीं के लिए '2' अंकित करें ।

4. **क्या विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेतु अलग से कमरा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :**
यदि विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेतु अलग से कमरा उपलब्ध है तो हाँ के लिए '1' अन्यथा नहीं के लिए '2' अंकित करें

5. **शौचालय एवं मूत्रालय की विवरण :**

शौचालय	केवल लड़कों के उपयोग हेतु	केवल लड़कियों के उपयोग हेतु
उपलब्ध शौचालयों की संख्या		
चालू हालत वाले शौचालयों की संख्या		
शौचालय की संख्या जिसमें शौचालय के अंदर पानी की सुविधा है		
उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या		

- क) **क्या शौचालय/मूत्रालय के समीप हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :**
- ख) **उपलब्ध शौचालयों में से किसी एक का भी प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के द्वारा किया जा सकता है ? (हाँ=1, नहीं=2) :**

शौचालय : विद्यालय में उपलब्ध शौचालय में से केवल लड़कों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या, केवल लड़कियों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या, उपलब्ध कुल शौचालय की संख्या अलग-अलग अंकित करें। एक शौचालय का अर्थ 'एक टॉयलेट पैन' (Toilet Seat) से है।

चालू हालत वाले शौचालयों की संख्या : विद्यालय में वर्तमान में चालू हालत में (उपयोग में आने वाले) शौचालय की कुल संख्या, केवल लड़कों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या, केवल लड़कियों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या अलग-अलग अंकित करें।

शौचालय की संख्या जिसमें शौचालय के अंदर पानी की सुविधा है : शौचालय की संख्या जिसमें शौचालय कक्ष के अंदर पानी का नल लगा हो, अलग-अलग अंकित करें।

6. विद्यालय में उपलब्ध पेयजल सुविधा (चापाकल=1, कुआँ=2, सप्लाई वाटर=3, अन्य=4, कुछ भी नहीं=5) :
- क) क्या विद्यालय में उपलब्ध पेयजल की सुविधा चालू हालत में है (हाँ=1, नहीं=2) :
- पीने के पानी का मुख्य स्रोत (साधन) जिसका उपयोग विद्यालय द्वारा मुख्य रूप से किया जाता हो को अंकित किया जाना चाहिए। यदि एक से अधिक भी पीने के पानी का स्रोत हो तो भी केवल एक स्रोत को ही अंकित करना चाहिए, जिसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विकल्प है - चापाकल (1), कुआँ (2), सप्लाई वाटर (3), अन्य (4), कुछ भी नहीं (5)।
- यदि विद्यालय में उपलब्ध पेयजल स्रोत चालू/उपयोगी हालत में है तो 1 भरें अन्यथा 2 भरें।
7. विद्यालय में बिजली की औपचारिक सुविधा (हाँ=1, नहीं=2, हाँ परन्तु चालू हालत में नहीं=3) :
- यदि विद्यालय में बिजली का कनेक्शन लगा हो तथा बिजली का उपकरण विद्यालय परिसर के अन्दर काम करता हो तो माना जायेगा कि विद्यालय में बिजली है। यदि विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है तो (1), नहीं है तो (2) एवं है पर चालू हालत में नहीं है, के लिए (3) की प्रविष्टि करें।
8. विद्यालय की चाहारदीवारी :
- (पक्की=1, पक्की परन्तु टूटी हुई=2, कँटीले तारों द्वारा=3, बाड़(पौधों द्वारा)=4, कोई चाहारदीवारी नहीं=5, अन्य=6, आंशिक चाहारदीवारी=7, निर्माणाधीन=8)
- विद्यालय की चाहारदीवारी जिस प्रकार की है उसके कोड का उल्लेख करें।
9. क्या विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है ? (हाँ=1, नहीं=2):
- यदि हाँ '1' है तो,
- क. पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या:
- ख. क्या विद्यालय को पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष (librarian) कार्यरत है (हाँ=1, नहीं=2):
10. क्या विद्यालय सामाचारपत्र/पत्रिका क्रय करता/उपलब्ध कराया जाता है (हाँ=1, नहीं=2) :
11. क्या विद्यालय हेतु खेल का मैदान उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :
- यदि विद्यालय परिसर या इसके आस-पास विद्यालयों के बच्चों के खेलने हेतु खेल का मैदान उपलब्ध है जहाँ विद्यालय के बच्चे जा कर खेलते हैं तो '1' भरें अन्यथा '2' भरें। यह आवश्यक नहीं है कि खेल का मैदान विद्यालय के नाम पर ही हो। खेल का मैदान किसी ट्रस्ट, कम्पनी, सरकार का या सार्वजनिक भी हो सकता है।
- यदि नहीं है तो, क्या खेलकूद का मैदान बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :
- यदि विद्यालय हेतु खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है तो क्या खेल-कूद मैदान बनाने हेतु विद्यालय के पास प्रयाप्त जमीन उपलब्ध है। सरकारी विद्यालयों के लिए पास में सरकारी जमीन की उपलब्धता को दर्शाएँ।
12. शैक्षणिक प्रयोगार्थ कम्प्यूटरों की विवरणी:
- उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या : चालू हालत में उपलब्ध कम्प्यूटर :
- विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध कुल कम्प्यूटर सेटों की संख्या अंकित करें। प्रिंटेर्स, मोडम एवं अन्य सहायक उपकरणों का आँकड़ा प्रपत्र में सम्मिलित नहीं करना है।
- शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर सेटों में से वर्तमान में चालू हालात वाले कम्प्यूटरों की संख्या का उल्लेख करें।

13. क्या विद्यालय में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा हेतु कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है:
(हाँ=1, नहीं=2, उपलब्ध परन्तु उपयोग में नहीं लाया जा रहा=3)
यदि विद्यालय में अन्य विषय की पढ़ाई हेतु कम्प्यूटर तथा Multimedia Content का सहारा लिया जाता है और इस हेतु विद्यालय में कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है तो '1' भरे अन्यथा '2' भरे ।
14. क्या 01 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 के बीच विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया:
(हाँ=1, नहीं=2)
इसके लिए डॉक्टर/नर्स या प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा भरे गये हेल्थ कार्ड को आधार मानना चाहिए । यदि विगत शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है तो '1' और नहीं किया गया है तो '2' अंकित करें ।
15. क्या विकलांग बच्चों को वर्गकक्ष तक पहुँचने हेतु विद्यालय में रैम्प की आवश्यकता है :
(हाँ=1, नहीं=2)
यदि विद्यालय भवन जमीन से उपर उठी हुई है तो ऐसे विद्यालयों में विकलांग बच्चों को वर्गकक्ष तक पहुँचने हेतु रैम्प/ढलान की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी स्थिति में '1' भरे । यदि विद्यालय जमीन के बराबर बनी हुई है और विकलांग बच्चे को वर्गकक्ष तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती है तो '2' भरे ।
(क) यदि हाँ '1' है तो विकलांग बच्चों के सहारे के लिए क्या रैम्प उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :
(1) यदि रैम्प उपलब्ध है, तो क्या रैम्प में हैंड रेल लगा हुआ है (हाँ=1, नहीं=2) :
रैम्प (विकलांग बच्चों के सहारे के लिए उपयोगी) : अगर विद्यालय में विकलांग बच्चों के आने जाने की सुविधा के लिए रैम्प/ढलान निर्मित है तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें । यदि विद्यालय में एक से अधिक भवनखण्ड है और किसी एक में भी रैम्प की सुविधा हो तो '1' अंकित करें ।
यदि रैम्प उपलब्ध है, और उसमें हैंडरेल हो तो '1' अन्यथा '2' का उल्लेख करें ।
16. क्या विद्यालय के लिए मापी आधारित परिसीमा मानचित्र (measured campus plan) तैयार किया गया है (हाँ=1, नहीं=2) :
भविष्य में विद्यालय भवन के विस्तार हेतु क्या मापी आधारित परिसीमा मानचित्र (measured campus plan) तैयार किया गया है यदि हाँ तो 1 अन्यथा 2 का उल्लेख करें ।

ख. (II) मध्याह्न भोजन से संबंधित सूचनाएँ

केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा भरा जाए

- 1. मध्याह्न भोजन की स्थिति :**
(लागू नहीं=0, उपलब्ध नहीं करायी जाती है=1, विद्यालय में तैयार कर उपलब्ध करायी जाती है=2, उपलब्ध करायी जाती है परन्तु विद्यालय में तैयार नहीं की जाती=3)
यदि विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो कोड 1 भरें ।
यदि विद्यालय में तैयार/पकाकर बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो कोड 2 भरें
यदि विद्यालय के बाहर/बाजार से पका/तैयार मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, तो कोड 3 भरें ।
(i) यदि विद्यालय में तैयार/पकाकर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाती है तो -
क) किचन शेड की उपलब्धता (हाँ=1, नहीं=2, निर्माणाधीन/राशि प्राप्त=3, अतिरिक्त वर्गकक्ष=4) :
ख) कुल उपलब्ध सहायिकाओं/रसोइयों की संख्या :पुरुष
महिला
यदि विद्यालय में अलग से किचन शेड उपलब्ध है तो 1 भरें ।
यदि विद्यालय में अलग से किचन शेड उपलब्ध नहीं है तो 2 भरें ।
यदि विद्यालय में अलग से किचन शेड निर्माणाधीन है या निर्माण हेतु राशि विद्यालय को प्राप्त है तो 3 भरें ।
यदि विद्यालय में किचन शेड निर्माणाधीन है या इस हेतु राशि प्राप्त है और वर्तमान में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का उपयोग रसोई घर के रूप में किया जा रहा है तो भी कोड 3 भरें ।
यदि विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का उपयोग रसोईघर के रूप में किया जा रहा है तथा किचन शेड के निर्माण हेतु कोई भी राशि विद्यालय को प्राप्त/उपलब्ध नहीं है तो 4 भरें ।
(ii) यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है परन्तु विद्यालय में तैयार/पकाया नहीं जाता है तो -
मध्याह्न भोजन का स्रोत :
(नजदीक का विद्यालय=1, गैर सरकारी संगठन=2, स्वयंसेवी संस्था=3, माता समिति/अभिभावक शिक्षक संगठन=4, अन्य=5, ग्राम पंचायत=6, केन्द्रीय रसोई=7)
यदि गैर सरकारी संगठन हो तो आपूर्तिकर्ता का नाम :
यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराई जाती है परन्तु विद्यालय में तैयार नहीं किया जाता है तो मध्याह्न भोजन के स्रोत का कोड भरें :
नजदीक का विद्यालय - 1 गैर सरकारी संगठन - 2 स्वयं सेवी संस्था - 3
माता समिति / अभिभावक शिक्षक संगठन - 4 अन्य - 5
ग्राम पंचायत-6, केन्द्रीय रसोई-7
यदि किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा माध्यह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही हो तो उसका नाम भी लिखें ।
- 2. क्या विद्यालय को मध्याह्न भोजन पकाने हेतु आवश्यक उपकरण/बर्तन के क्रय हेतु कभी अनावर्ती अनुदान मिला है (हाँ=1, नहीं=2) :**
- 3. 01 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 में नामांकित कुल बच्चों में से कितने बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन लेने हेतु इच्छा जतायी गई :** छात्रों की संख्या..... छात्राओं की संख्या
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय के जितने बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन लेने की इच्छा जतायी गई यह संख्या कभी भी गत शैक्षणिक सत्र के कुल नामांकन से ज्यादा नहीं होगा । विद्यालय में वैसे बच्चों की संख्या जो कभी भी विद्यालय का मध्याह्न भोजन नहीं लेते हैं, उनकी संख्या को कुल नामांकन से घटा कर यह ज्ञात किया जा सकता है ।
- 4. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में कुल कितनी प्लेटें भोजन बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में उपलब्ध कराया गया :**.....

गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में कुल कितनी प्लेटें मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध करायी गयी, इसका उल्लेख करें। उदाहरण के लिए मान लिया जाय कि विद्यालय में 210 दिन मध्याह्न भोजन खिलाया गया और प्रथम दिन कुल 80 बच्चों को, द्वितीय दिन कुल 95 बच्चों को, तृतीय दिन कुल 75 बच्चे को....और इस तरह 210वें दिन कुल 100 बच्चों को खाना खिलाया गया तो हर दिन जितने बच्चों को खाना खिलाया गया उसे जोड़ कर जो संख्या आएगी (80+95+75+.....+100) उसे अंकित करें।

5. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में कुल कितने दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया :
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में कुल कितने दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया, इसका उल्लेख करें। उपर के उदाहरण में कुल 210 दिन मध्याह्न भोजन खिलाया गया।
6. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया ? :
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया, इसकी संख्या का उल्लेख करें।
7. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में समुदाय के सदस्यों द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया ? :
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में समुदाय के सदस्यों द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया, इसकी संख्या का उल्लेख करें।
8. यदि विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायी जाती है तो
(क) क्या भोजन करने से पूर्व तथा खाने के बाद हाथ धोने की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध है ?
(हाँ=1, नहीं=2) :
यदि हाँ '1' है तो क्या यह चालू हालत में है : (हाँ=1, नहीं=2) :

- (1) **कोटि:** सामान्य=1, अनुसूचित जाति=2, अनुसूचित जनजाति=3, अन्य पिछड़ी जाति=4, अन्य आरक्षित जातियाँ=5, अन्य=6, मुस्लिम अल्पसंख्यक=10 ;
- (2) **शिक्षक का प्रकार:** प्रधानाध्यापक=1, प्रभारी प्रधानाध्यापक=2, शिक्षक/सहायक शिक्षक=3, पारा शिक्षक=4, RTE के आलोक नियुक्त पार्ट टाइम ईन्सट्रक्टर=5, प्रिंसिपल=6, वाईस प्रिंसिपल=7,
- (3) **उच्चतम योग्यता शैक्षणिक:** पूर्व माध्यमिक=1, माध्यमिक=2, उच्चतर माध्यमिक=3, स्नातक=4, स्नातकोत्तर=5, एम. फिल=6, पी.एच.डी=7, पोस्ट डॉक्टोरल=8 ;
- (4) **उच्चतम योग्यता व्यवसायिक:** न्यूनतम दो वर्षीय शिक्षक डिप्लोमा प्रशिक्षण/ D.Ed.(पी.टी.टी.)=1, प्रारंभिक शिक्षा का स्नातक (B.El.Ed.)=2, बी.एड. या समकक्ष=3, एम.एड. या समकक्ष=4, अन्य=5, कुछ भी नहीं=6, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा / डिग्री=7, डी.पी.ई. (पूर्ण)=11, सेवाकालीन एक वर्षीय प्रशिक्षण=12, डी.पी.ई. (अध्ययनरत)=50, एन.आई.ओ.एस.=51;
- (5) **कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं :** केवल प्राथमिक=1, केवल उच्च प्राथमिक=2, अधिकांश प्राथमिक=3, अधिकांश उच्च प्राथमिक=4, सिर्फ माध्यमिक=5, उच्च माध्यमिक=6, अधिकांश माध्यमिक=7, अधिकांश उच्च माध्यमिक=8 ;
- (6) सभी विषय (1), भाषा (2), गणित (3), पर्यावरण विषय (4), खेल (5), संगीत (6), विज्ञान (7), समाज शास्त्र (8), क्षेत्रीय भाषा (11), अंग्रेजी (12), हिन्दी (13), संस्कृत (14), अन्य भाषा (15), फिजिकल विज्ञान (16), जीव विज्ञान (17), सामाजिक विज्ञान (18), कम्प्यूटर शिक्षा (19), नृत्य (20), लेखा (21), कृषि (22), जीव विज्ञान (23), व्यवसायिक शास्त्र (24), रसायन विज्ञान (25), कम्प्यूटर विज्ञान (26), अर्थशास्त्र (27), अभियंत्रण नक्शा (28), फाइन आर्ट्स (29), भूगोल (30), इतिहास (31), गृह विज्ञान (32), दर्शनशास्त्र (33), भौतिकी (34), राजनीति विज्ञान (35), मनोविज्ञान (36), विदेशी भाषा (37), समाज शास्त्र (38), उर्दू (39), कला/शिल्प (क्राफ्ट) (91), स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (92), कार्य शिक्षा (93) एवं अन्य (0) ।
- (7) **विकलांगता का प्रकार:** कुछ भी नहीं=1, अस्थि विकलांग=2, नेत्रहीन=3, अन्य=4
- (8) **नियुक्ति का प्रकार :** नियमित=1, संविदा=2, पार्ट टाइम(अंशकालीन)=3;
- (9) **वैवाहिक स्थिति :** विवाहित=1, अविवाहित=2;
- (10) **धर्म कोटि :** हिन्दु=1, मुस्लिम=2, सिक्ख=3, ईसाई=4, जैनी=5, बुद्ध=6, अन्य=7;
- (11) **अन्य विद्यालय से प्रतिनियोजित:** हाँ=1, नहीं=2;

घ. नया नामांकन की स्थिति

कक्षा →		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ																
	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के बिना																
01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 तक	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ																
	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के बिना																

- गत शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर के बाद नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के साथ) : 01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।
- गत शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर के बाद नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना) : 01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर से पहले नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के साथ) : 01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर से पहले नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना) : 01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।

घ. (I) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में कक्षा-1 में नया नामांकन

	उम्र के अनुसार कक्षा-1 में नामांकित बच्चों की संख्या					कक्षा-1 में कुल नामांकन	कक्षा-1 में नामांकित कितने बच्चों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की		
	<5	5	6	7	>7		इसी विद्यालय से	दूसरे विद्यालय से	आंगनबाडी/पूर्वबालपन केन्द्र से
Boys									
Girls									
Total									

इस भाग में वर्तमान शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 तक) में कक्षा-1 में नये नामांकन की विस्तृत विवरणी भरी जानी है, इसमें उम्र के अनुसार कक्षा-1 में नये नामांकित बच्चों की संख्या भरी जानी है तथा कक्षा-1 में कुल नये नामांकन भरी जानी है ।

कक्षा-1 में नामांकित कितने बच्चों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इसकी जानकारी भी अलग-अलग भरी जानी है, जो कक्षा-1 में नामांकन से पूर्व अपनी प्राथमिक शिक्षा इसी विद्यालय से/ दूसरे विद्यालय से / आंगनबाड़ी (पूर्व बापलन केन्द्र) से पूरी की है। कुछ एक छात्र/छात्रा बिना पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए भी कक्षा-1 में नामांकित हो सकते हैं।

ड. वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (जाति के अनुसार)

कक्षा →	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	
Sections in classes (उप-वर्गों की संख्या)																			
A - सामान्य जाति																			
B – अनुसूचित जाति																			
C – अनुसूचित जनजाति																			
D – अन्य पिछड़ी जाति																			
E – कुल (A + B + C + D)																			
कुल संख्या में से मुस्लिम जाति																			

कक्षाओं में उपवर्गों की संख्या : जब कभी एक कक्षा में अत्यधिक छात्र-छात्राएँ नामांकित हो जाते हैं तो अध्यापन की सुविधा को ध्यान में रखकर उस कक्षा को दो या दो से अधिक खण्डों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग छात्र उपस्थिति पंजी संधारित की जाती है, तो ऐसे खण्डों को उप कक्षा या उप वर्ग या वर्ग खण्ड कहते हैं। एक कक्षा में दो या दो से अधिक उप कक्षाएँ (Section) हो सकती हैं, जो छात्र-छात्राओं की संख्या पर निर्भर करता है।

- A- सामान्य जाति के छात्र-छात्रा :** वैसे छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित की जानी चाहिए जो सामान्य जाति की श्रेणी में आते हैं ।
- B- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा :** वैसे जाति के छात्र-छात्राएँ जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित किया जाता है की संख्या अंकित की जानी चाहिए ।
- C- अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रा :** वैसे जाति के छात्र-छात्राएँ जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है की संख्या अंकित की जानी चाहिए ।
- D- अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्रा :** वैसे जाति के छात्र-छात्राएँ जिन्हें सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है की संख्या अंकित की जानी चाहिए ।
- E- कुल नामांकन :** ऊपर वर्णित 'A' से 'D' के सभी विद्यार्थियों की संख्या जोड़कर लिखें । यह संख्या कक्षा में नामांकित कुल बच्चों की संख्या होगी जिसमें सभी जाति के छात्र-छात्रा सम्मिलित होंगे ।
- F- कुल संख्या में से मुस्लिम जाति :** कुल नामांकित बच्चों में से मुस्लिम जाति के छात्र-छात्राओं की संख्या कक्षावार अलग से भरें ।

(च) वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (आयु वर्ग के अनुसार)

नोट : इस तालिका का कुल नामांकन हर हाल में तालिका संख्या ड. के कुल के बराबर होगा ।

Class	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
< 5																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
>21																
Total																

आयु पूर्ण वर्षों में : विद्यालय की प्रवेश पंजी में अंकित जन्म तिथि के अनुसार 30 सितम्बर को छात्र-छात्राओं की आयु की गणना की जानी चाहिए । कृपया छात्र-छात्राओं की वर्तमान आयु की गणना 30 सितम्बर 2012 को पूर्ण वर्षों में करेंगे । (कृपया सम्पूर्ण वर्ष के बाद बचे माह एवं दिन को गणना में सम्मिलित नहीं करेंगे) उदाहरणार्थ - अगर किसी बच्चा की आयु 30-09-2012 को 7 वर्ष 11 महीना हो तो उम्र 7 वर्ष अंकित किया जाएगा न कि 8 वर्ष । बच्चे के आयु अनुसार कक्षावार नामांकन की सूचना भरें ।

(छ) वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (शिक्षण माध्यम के अनुसार)

नोट :- यदि शिक्षण का माध्यम सिर्फ एक हो तो इस तालिका को ना भरें । इस तालिका का कुल नामांकन हर हाल में तालिका संख्या ड./च के बराबर होगा ।

कक्षा →	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
A – माध्यम 1																		
B – माध्यम 2																		
C – माध्यम 3																		
D – माध्यम 4																		
E – कुल (A + B + C + D)																		

विद्यालय में वर्गवार छात्र/छात्राओं के लिए जिस भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की गयी है उनकी संख्या अंकित की जानी है । कुल नामांकन हर हाल में तालिका संख्या ड./च के कुल के बराबर होगा । शिक्षण के माध्यम का भी उल्लेख करें ।

(ज) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में कक्षावार पुनरावर्तकों (Repeaters) की संख्या (जाति के अनुसार)

कक्षा →	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
A - सामान्य जाति																		
B – अनुसूचित जाति																		
C – अनुसूचित जनजाति																		
D – अन्य पिछड़ी जाति																		
E – कुल (A + B + C + D)																		
कुल संख्या में से मुस्लिम																		

पुनरावर्तक (Repeater) : पुनरावर्तक (Repeater) उसे कहेंगे जो किसी एक कक्षा में एक वर्ष या उससे अधिक वर्षों से पढ़ रहा है ।

जातिवार रिपीटर की संख्या कक्षावार अलग-अलग अंकित करें ।

कुल रिपीटर में से मुस्लिम जाति के रिपीटर की संख्या कक्षावार अलग से अंकित करें ।

(झ) प्रोत्साहन/सुविधा (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में) – प्राथमिक कक्षाओं के लिए

सुविधा के प्रकार	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		कुल		कुल संख्या में से मुस्लिम जाति	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक												
निःशुल्क पठन पाठन सामग्री												
निःशुल्क पोशाक												
छात्रवृत्ति												
निःशुल्क वाहन सुविधा												
निःशुल्क आवासीय सुविधा												

प्राथमिक कक्षाओं में 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाओं से लाभान्वित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या अलग-अलग भरेंगे । कुल संख्या में से मुस्लिम जाति के लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या भरें ।

1. **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
2. **निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क लेखन सामग्री यथा-कलम, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी गयी है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
3. **निःशुल्क पोशाक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराया गया हो उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
4. **छात्रवृत्ति** : जितने छात्र-छात्राओं ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त किया हो उनकी संख्या अंकित करें ।
5. **निःशुल्क वाहन सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि विद्यालय आने हेतु किसी प्रकार की वाहन सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
6. **निःशुल्क आवासीय सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय में रहने हेतु किसी प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।

(ज) प्रोत्साहन/सुविधा (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में) - उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए

सुविधा के प्रकार	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		कुल		कुल संख्या में से मुस्लिम जाति	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक												
निःशुल्क पठन पाठन सामग्री												
निःशुल्क पोशाक												
छात्रवृत्ति												
निःशुल्क वाहन सुविधा												
निःशुल्क आवासीय सुविधा												
साईकिल												

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाओं से लाभान्वित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या अलग-अलग भरेंगे । कुल संख्या में से मुस्लिम जाति के लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या भरें ।

1. **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
2. **निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क लेखन सामग्री यथा-कलम, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी गयी है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
3. **निःशुल्क पोशाक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराया गया हो उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
4. **छात्रवृत्ति** : जितने छात्र-छात्राओं ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त किया हो उनकी संख्या अंकित करें ।
5. **निःशुल्क वाहन सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि विद्यालय आने हेतु किसी प्रकार की वाहन सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
6. **निःशुल्क आवासीय सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय में रहने हेतु किसी प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
7. **साईकिल** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में निःशुल्क साईकिल दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।

(ट) वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या

कक्षा →	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
दृष्टिदोष (पूर्ण अंधापन) Visual Impairment (Blindness)																								
दृष्टिदोष (कम दृष्टि) Visual Impairment (Blindness)																								
बधिर Hearing Impairment																								
मूक / हकलापन Speech impairment																								
अस्थि विकलांग Locomotor Impairment																								
मानसिक विकलांग Mental Retardation																								
अधिगम विकलांगता Learning disability																								
प्रमस्तिष्किय पक्षाघात Cerebral Palsy																								
औटिज्म Autism																								
बहु विकलांग Multiple disability																								
कुल																								

(ठ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में उपलब्ध कराए गये निःशुल्क सुविधा/उपकरण

सुविधा के प्रकार	प्रारंभिक (I-VIII)	
	छात्र	छात्रा
ब्रेल पुस्तक Brail Books		
ब्रेल किट Brail Kits		
कम दृष्टि हेतु किट/चश्मा Low vision Kit		
श्रवण यंत्र Hearing Aid		
कमजोर मांसपेशियों को सहारा देने वाला यंत्र Braces		
बैशाखी Crutches		
व्हील चेयर Wheel Chair		
तिपहिया साईकिल Tri-Cycle		
कैलीपर Caliper		

01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विद्यालय में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले जितने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क सुविधाओं/उपकरणों का वितरण किया गया है, उसकी संख्या भरे ।

(थ) शिक्षकेत्तर / प्रशासनिक / सहायक कर्मियों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या

	स्वीकृत इकाई No. of Sanctioned staff	कार्यरत इकाई No. of staff In-Position
Accountant अंकेक्षक		
Library Assistant पुस्तकालय सहायक		
Laboratory Assistant प्रयोगशाला सहायक		
UDC उच्च श्रेणी लिपिक		
Head Clerk प्रधान लिपिक		
LDC निम्न श्रेणी लिपिक		
Peon चपरासी		
Night Wactchman रात्रि प्रहरी		
Cook रसोइया		
Others अन्य		

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में भरे गए सभी सूचनाएँ मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है एवं सभी सूचनाएँ सही एवं पूर्ण है ।

क्र. सं.	ग्राम शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के पुत्र/पुत्री का नाम	वर्ग जिसमें पुत्र/पुत्री पढ़ाई करती हो	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में भरे गए सभी सूचनाएँ मेरे द्वारा जन-वाचन के दौरान स्थलीय जाँच कर सत्यापित किया गया है एवं भरे गए सभी सूचनाएँ सही एवं पूर्ण है ।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष SMC/VEC/SMDC

हस्ताक्षर

संकुल साधन सेवी/सी.आर.सी.सी

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में भरी गई सभी सूचनाएँ/ऑकड़ें मेरे द्वारा जाँची गई है एवं भरे गए सभी सूचनाएँ/ऑकड़ें सही एवं पूर्ण है ।

हस्ताक्षर


प्राखण्ड साधन सेवी

हस्ताक्षर

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

हस्ताक्षर

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी



एकीकृत जिला शैक्षिक सूचना-प्रणाली

U-DISE

(Unified District Information System for Education)

आँकड़ा संग्रह प्रपत्र-सह-मार्गदर्शिका

शैक्षणिक सत्र 2012-13
(आधार तिथि: 30.09.2012)

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

विद्यालय का नाम :

विद्यालय का डायस कोड :

संकुल संसाधन केन्द्र का नाम :

राजस्व प्रखण्ड का नाम :

राज्य परियोजना कार्यालय

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची
न्यू को-ऑपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा, राँची-834024

दूरभाष: 0651-2412028, 2410519 फैक्स: 0651-2410528

website :www.jepc.nic.in, E-mail : jepcranchi@rediffmail.com, jepcranchi1@gmail.com

प्रपत्र के सभी अनुच्छेदों को भरना अनिवार्य है । सभी अनुच्छेदों के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिस पढ़कर ही आँकड़ा संग्रह प्रपत्र (DCF) भरें ।

U-DISE के आँकड़े प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों या ऐसे सभी विद्यालयों/कॉलेजों से एकत्र किया जाना है जहाँ कक्षा I से XII के बीच के किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती है ।

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 13(2) तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय/कॉलेज को U-DISE हेतु सूचनाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।
2. विद्यालय रजिस्टर एवं दूसरे कार्यालयी अभिलेख के आधार पर DCF (आँकड़ा संग्रह प्रपत्र) में सही एवं प्रमाणिक आँकड़ों की प्रविष्टि की जानी चाहिए । आँकड़े भरे जाने से पूर्व नामांकन पंजी, उपस्थिति पंजी से असत्य (False) एवं दोहरे (Duplicate) आँकड़ों को हटा लेना है ।
3. उन मदों की स्थिति को छोड़कर (जिसके लिए विशेष रूप से यह नियत किया गया हो कि पूर्व या चालू शैक्षणिक वर्ष के आँकड़ों को ही उपलब्ध कराया जाय), प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर का आँकड़ा उपलब्ध कराया जाय । शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय से है ।
4. आँकड़ा सांख्यिक अंकों एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए ।
5. प्रपत्र पर घसीट कर नहीं लिखें । इसे साफ सुथरा रखा जाना चाहिए । गलत लिखावट के ऊपर नहीं लिखें इसके बदले गलत लिखावट को काट कर उसके बगल में साफ-साफ सही प्रविष्टि करें ।
6. प्रपत्र में जिस स्थान पर इसका प्रावधान किया गया है वही उपयुक्त कोड की प्रविष्टि होनी चाहिए । सही कोड भरने में सावधानी बरती जानी चाहिए ।
7. सही मदों को पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए । आवश्यक कोई अनुच्छेद या जगह खाली नहीं छोड़ा जाय ।
8. सभी आँकड़ों को विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या प्राचार्य द्वारा कार्यालय अभिलेख से सुनिश्चित होने के पश्चात् ही भरा जाना चाहिए । संबंधित शिक्षक को DCF (आँकड़ा संग्रह प्रपत्र) को भरने हेतु प्रशिक्षित होना चाहिए ।
9. स्थान/सुविधा की कमी या किसी अन्य कारणों से यदि दो विद्यालय एक ही भवन किन्तु अलग-अलग शीर्ष एवं प्रबंधन में चल रहे हैं तो दोनों विद्यालयों में प्रत्येक को अलग ईकाई मानकर अलग-अलग प्रपत्रों में आँकड़ों को भरा जाना चाहिए । यदि दो पालियों में एक ही शीर्ष एवं प्रबंधन में कोई विद्यालय चल रहा हो तो उसे एक ही विद्यालय के प्रधान द्वारा एक ही प्रपत्र में भरे जायेंगे ।
10. प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या प्राचार्य एवं ग्राम शिक्षा समिति (VEC)/विद्यालय प्रबंधन समिति(SMC)/विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC)के सदस्यों द्वारा आँकड़ों का सत्यापन जन-वाचन की बैठक आयोजित कर किया जाना चाहिए तथा प्रपत्र को जमा करने से पहले प्रपत्र के अंतिम पृष्ठ के उपयुक्त जगह पर उनको अपना पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित अंकित करना आवश्यक है ।
11. DCF को प्रखण्ड स्तर में समर्पित करने से पूर्व CRP/CRCC द्वारा सभी प्रपत्रों के आँकड़ों को सत्यापित किया जाना है तथा प्रपत्र के उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए आँकड़ों को अभिप्रमाणित करना है ।
12. BEEO/BPO के द्वारा खाली प्रविष्टि एवं गलतियों की सूक्ष्म जाँच की जानी चाहिए । इसके लिए 25 प्रतिशत नमूना (Random) लेकर आँकड़ों का प्रमाणीकरण किया जाना है । नमूने के आधार पर आँकड़ों के प्रमाणीकरण की जाँच तथा इसके निष्कर्ष से संबंधित एक प्रतिवेदन BEEO द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला स्तरीय MIS प्रभाग को समर्पित किया जाना चाहिए ।
13. शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर, 2012 को आधार तिथि मानकर आँकड़ों को भरा जाना है ।

क (I) विद्यालय सूचना अनुसूची

1. **विद्यालय का पूरा नाम** (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :.....
विद्यालय का पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जैसा कि अद्यतन कार्यालय अभिलेख में है, लिखा जाना चाहिए ।
2. **विद्यालय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में अवस्थित है (ग्रामीण=1 एवं शहरी=2) :**.....
यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है तो कोड '1' अंकित करें । यदि शहरी क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है तो '2' अंकित करें । यह वर्गीकरण नवीनतम जनगणना सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए । शहरी/ग्रामीण वर्गीकरण के लिए जिला जनगणना पुस्तिका का अवलोकन किया जा सकता है ।
3. **टोला (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) / मुहल्ला (शहरी क्षेत्र के लिए) का नाम :**
यदि विद्यालय किसी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हो तो टोला के नाम का उल्लेख करें । शहरी क्षेत्र में अवस्थित हो तो मुहल्ला का नाम लिखें ।
4. **राजस्व गाँव (ग्रामीण क्षेत्र) / वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र) का नाम :**
विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित होने की स्थिति में इसके राजस्व ग्राम के नाम को अंकित करें । शहरी क्षेत्रों की स्थिति में वार्ड संख्या / अधिसूचित क्षेत्र का उल्लेख करें । राजस्व कर्मचारी से यह जाना जा सकता है ।
5. **पिन कोड :**
विद्यालय जहाँ अवस्थित है उस ग्राम/टोला का डाक सूचकांक (PIN) कोड उल्लेख करें, यह कोड नजदीक के डाकघर से जाना जा सकता है ।
6. **राजस्व पंचायत का नाम** (सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए) :
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिस पंचायत में विद्यालय अवस्थित है उस पंचायत के नाम का उल्लेख करें ।
7. **संकुल संसाधन केन्द्र का नाम (सी.आर.सी.)* :**
संकुल संसाधन केन्द्र का नाम लिखें जिससे विद्यालय संलग्न है । संकुल संसाधन केन्द्र का नाम एक विद्यालय का नाम होता है ।
8. **राजस्व प्रखण्ड का नाम* :**
विद्यालय जिस राजस्व प्रखंड में अवस्थित है उस राजस्व प्रखण्ड का नाम लिखें।
9. **शैक्षणिक प्रखण्ड का नाम* :**
विद्यालय जिस शैक्षणिक प्रखंड में अवस्थित है उस शैक्षणिक प्रखण्ड का नाम लिखें।
10. **विधानसभा क्षेत्र का नाम* :**
विद्यालय जिस विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित है उस विधान सभा क्षेत्र का नाम लिखें।
11. **नगर निगम/अधिसूचित क्षेत्र का नाम* :**
यदि विद्यालय नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित है उस नगर निगम/ अधिसूचित क्षेत्र का नाम लिखें ।
12. **शहर का नाम (यदि लागू हो) :**
यदि विद्यालय शहरी में विद्यालय अवस्थित है उस शहर का नाम लिखें । जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है इसे न भरे।

13. **फोन / मोबाईल नम्बर :**

फोन/मोबाईल नम्बर	एस.टी.डी. कोड	लैंड लाइन नम्बर	मोबाईल नम्बर
कार्यालय / प्रधान शिक्षक का			
शिक्षक जिसने प्रपत्र भरा हो			
ई-मेल :		वेब साईट:	

विद्यालय का फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) तथा प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक का मोबाइल नम्बर लिखें । जिस शिक्षक के द्वारा प्रपत्र भरा जा रहा है, उसका फोन न. (एस.टी.डी. कोड सहित) तथा मोबाइल नम्बर भी लिखें ।

14. विद्यालय की श्रेणी :
विकल्प जैसा लागू हो उसका कोड भरें ।

1. **केवल प्राथमिक** : विद्यालय जिसमें सिर्फ प्राथमिक कक्षाएँ (I-V) संचालित करने का प्रावधान हो उसे केवल प्राथमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
2. **प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक** : यदि विद्यालय में वर्ग I से VIII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो विद्यालय प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए । यदि विद्यालय को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उत्क्रमित किया गया है, तथापि वर्तमान में उच्चतम कक्षा V/VI/VII ही है तो ऐसी स्थिति में भी विद्यालय की श्रेणी प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक होगा ।
3. **प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक** : यदि विद्यालय में वर्ग I-XII तक कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो ऐसे विद्यालय को प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
4. **केवल उच्च प्राथमिक** : ऐसे विद्यालय जिसमें सिर्फ वर्ग VI से VII/VIII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो उसे केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
5. **उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक** : जहाँ कक्षा VI से कक्षा XII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
6. **प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक** : यदि विद्यालय में कक्षा I से कक्षा X तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो ऐसे विद्यालय को प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए । यदि विद्यालय को मध्य विद्यालय से माध्यमिक में उत्क्रमित किया गया है, तथापि वर्तमान में उच्चतम कक्षा VIII/IX ही है तो ऐसी स्थिति में भी विद्यालय की श्रेणी प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक होगा ।
7. **उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक** : यदि विद्यालय में कक्षा VI से कक्षा X तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
8. **सिर्फ माध्यमिक** : ऐसे विद्यालय जिसमें सिर्फ वर्ग IX एवं X की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो उसे सिर्फ माध्यमिक के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
10. **माध्यमिक के साथ उच्चतर माध्यमिक** : ऐसे विद्यालय जिसमें सिर्फ वर्ग IX से XII तक की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो उसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।
11. **सिर्फ उच्चतर माध्यमिक / इन्टर कॉलेज** : ऐसे विद्यालय/कॉलेज जिसमें सिर्फ वर्ग XI एवं XII की कक्षाएँ संचालित करने का प्रावधान हो तो ऐसे विद्यालय/कॉलेज को सिर्फ उच्च माध्यमिक/इन्टर कॉलेज के रूप में दिखाया जाना चाहिए ।

15. **विद्यालय में निम्नतम कक्षा** :
सबसे निचली कक्षा को दर्शाएँ, जिसमें विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है । इस उद्देश्य के लिए सबसे निचली कक्षा को दर्शाते हुए इसमें आँगनबाड़ी, बालबाड़ी या पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख नहीं करें ।

16. **विद्यालय में उच्चतम कक्षा** :
सबसे उच्चतम कक्षा का उल्लेख करें, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हों । कुछ विद्यालयों में विद्यालय खुलने के प्रारंभिक वर्षों में ऊँची कक्षाओं में बच्चे नामांकित नहीं भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में जिस उच्चतम कक्षा तक वर्तमान में पढ़ाई हो रही हो उसी का उल्लेख करें । उत्क्रमण की स्थिति में ज्यों भी कि विद्यालय उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हो गया है, परन्तु वर्तमान में विद्यालय में उच्चतम कक्षा क्रमशः V, VI, VII या VIII, IX हो सकता है, ऐसी स्थिति में जिस उच्चतम कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हों, उस कक्षा का उल्लेख करें ।

17. विद्यालय का प्रकार (केवल बालक=1, केवल बालिका=2, सहशिक्षा=3)

प्रारंभिक स्तर :, माध्यमिक स्तर :, उच्चतर माध्यमिक स्तर :, उपयुक्त विकल्प जो लागू हो उसका कोड लिखें, जैसे बालक/बालिका/सह-शिक्षा । यद्यपि विद्यालय के नाम से स्पष्ट होता हो कि यह विद्यालय मात्र बालक या बालिकाओं के लिए है, जबकि व्यवहार में वह विद्यालय सह-शिक्षा का हो सकता है । यह विद्यालय श्रेणी (3) के अन्तर्गत आयेगा । विद्यालय का कोड निम्नरूपेण निर्धारित किया गया है । यदि विद्यालय में कुछ कक्षाओं में मात्र लड़कों या लड़कियों का नामांकन किया जाता है, परन्तु शेष कक्षाओं में लड़के एवं लड़कियाँ दोनों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय सह-शिक्षा की श्रेणी में लिया जाना है ।

1. केवल लड़कों के लिए : विद्यालय के सभी कक्षाओं में मात्र लड़कों का नामांकन किया जाता है ।
2. केवल लड़कियों के लिए : विद्यालय के सभी कक्षाओं में मात्र लड़कियों का नामांकन किया जाता है ।
3. सह-शिक्षा : विद्यालय के किसी भी कक्षा में लड़के एवं लड़कियाँ दोनों का नामांकन होता है ।

18. विद्यालय का प्रबंधन :

प्रारंभिक स्तर :, माध्यमिक स्तर :, उच्चतर माध्यमिक स्तर :, विकल्प जो लागू हो उसका कोड लिखें । विद्यालय प्रबंधन से संबंधित कोड निम्नरूपेण निर्धारित है

1. शिक्षा विभाग : विद्यालय जो झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णरूपेण संचालित, राज्य सरकार के अधीन स्वतंत्र ईकाई, DPEP/SSA के अन्तर्गत खोला गया/उत्कृष्टित किया गया है इस श्रेणी में आते हैं । इनके अलावे बुनियादी विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय इसी श्रेणी में आते हैं ।
2. जनजातीय/समाज कल्याण विभाग : राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण या समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्णरूपेण संचालित एवं वित्त पोषित विद्यालय इस श्रेणी में आते हैं ।
3. स्थानीय निकाय : जैसे विद्यालय जो नगर निगम, म्युनिसिपल कमिटी आदि के द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित हो, इस श्रेणी में आते हैं ।
4. सरकारी सहायता प्राप्त : जैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय जो व्यक्तिगत या ट्रस्ट या निजी संगठन द्वारा चलाया जाता हो और स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से नियमित रूप से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करता हो इस श्रेणी में आते हैं । ऐसे मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक यथा मिशनरी, मकतब-मदरसा विद्यालय को इस श्रेणी में शामिल किया जाना है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान दिया जाता हो ।
5. निजी असहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त) : जैसे मान्यता प्राप्त विद्यालय जो व्यक्तिगत या निजी संगठन द्वारा चलाया जाता हो तथा उसे स्थानीय निकाय या सरकार द्वारा नियमित रूप से कोई अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध नहीं होता हो इस श्रेणी में आते हैं । जैसे विद्यालय जिसे किसी खास उद्देश्य के लिए जैसे भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षकों के वेतन इत्यादि के लिए किसी समय सब्सिडी इत्यादि के लिए तदर्थ अनुदान मिला हो किन्तु नियमित रूप से अनुरक्षण अनुदान नहीं मिलता हो, उसे इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए । ऐसे मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक यथा मिशनरी, मकतब-मदरसा विद्यालय को शामिल किया जाना जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान नहीं दिया जाता हो, इस श्रेणी में आते हैं । मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय भी इसी श्रेणी में आते हैं ।
6. अन्य : ऐसे विद्यालय जो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 97, 98 किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं वह अन्य की श्रेणी में आएंगे एवं कोड 6 भरेगें ।
7. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित : इसमें ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय को शामिल किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित एवं वित्त पोषित हो अथवा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित हो । इनमें केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रेलवे एवं सैनिक विद्यालय आदि शामिल हैं ।
8. गैर मान्यता प्राप्त : इसमें ऐसे निजी विद्यालय को शामिल किया जाना चाहिए जिसे झारखण्ड सरकार, ICSE/CBSE या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त नहीं है ।
97. मान्यता प्राप्त मदरसा (मदरसा बोर्ड/वक्फ बोर्ड से) : इसमें ऐसे मदरसों को शामिल किया जाना चाहिए जिसे मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त है परन्तु उन्हें राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।
98. गैर मान्यता प्राप्त मदरसा : इसमें ऐसे मदरसों को शामिल किया जाना चाहिए जिसे मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त नहीं है ।
11. NCLP : इसमें ऐसे बाल श्रमिक विद्यालय जो NCLP Programme के तहत संचालित है ।

19. विद्यालय की दूरी (कि.मी. में)

क) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) से :..... ख) संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.) से :.....
दूरी किलोमीटर में :

- (क) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) से सड़क/रेलमार्ग द्वारा विद्यालय तक की न्यूनतम दूरी पूर्ण किलोमीटर में लिखें। अगर विद्यालय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) में ही अवस्थित है तो '0' अंकित करें। दशमलव का प्रयोग नहीं करें केवल पूर्णांक का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए - 1, 2, 3...।
- (ख) संकुल संसाधन केन्द्र से विद्यालय तक की न्यूनतम दूरी सड़क/रेलमार्ग से किलोमीटर में उल्लेख करें।

20. विद्यालय जिस टोला में अवस्थित है क्या वह टोला पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है ? :
(हाँ=1, नहीं=2)

विद्यालय जिस टोला में अवस्थित है यदि वह टोला पक्की सड़क से जुड़ा हुआ हो तो '1' एवं यदि नहीं जुड़ा है तो '2' भरा जाएगा।

21. औपचारिक विद्यालय के रूप में विद्यालय स्थापना का वर्ष :

औपचारिक रूप में विद्यालय के प्रारंभ/स्थापना के वर्ष को दर्ज करें। (ई.जी.एस. केन्द्र की स्थिति में ई.जी.एस. केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय में उद्क्रमण के वर्ष को लिखा जाना चाहिए, न की ई.जी.एस. खुलने के वर्ष को) विद्यालय में उपलब्ध कार्यालय अभिलेख से वास्तविक स्थापना के वर्ष को सत्यापित करें।

22. विद्यालय को पूर्ववर्ती बिहार सरकार/झारखंड सरकार/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से मान्यता प्राप्ति का वर्ष:

प्रारंभिक स्तर :, माध्यमिक स्तर :, उच्च माध्यमिक स्तर :,
विद्यालय के विभिन्न स्तरों को पूर्ववर्ती बिहार सरकार / झारखंड सरकार / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से जिस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई हो उसका वर्ष भरा जाएगा। सरकारी विद्यालयों की स्थिति में उसकी औपचारिक स्थापना का वर्ष / उद्क्रमण का वर्ष ही उसकी मान्यता प्राप्ति का वर्ष माना जायेगा।

24. यदि विद्यालय उद्क्रमित हुआ हो तो उद्क्रमण का वर्ष :

(क) प्राथमिक (I-V) से उच्च प्राथमिक (I-VIII)	(ख) प्रारंभिक से माध्यमिक (XI-X)	(ग) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (XI-XII)
.....

- (क) विद्यालय का प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उद्क्रमण का वर्ष : यदि विद्यालय प्राथमिक से मध्य विद्यालय में उद्क्रमित हुआ हो तो, विद्यालय का प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उद्क्रमण का वर्ष भरा जाएगा।
- (ख) विद्यालय का प्रारंभिक से माध्यमिक में उद्क्रमण का वर्ष : यदि विद्यालय प्रारंभिक से माध्यमिक में उद्क्रमित हुआ हो तो, विद्यालय का प्रारंभिक से माध्यमिक में उद्क्रमण का वर्ष भरा जाएगा।
- (ग) विद्यालय का माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उद्क्रमण का वर्ष : यदि विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उद्क्रमित हुआ हो तो, विद्यालय का माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उद्क्रमण का वर्ष भरा जाएगा।

25. क्या यह विद्यालय सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है (हाँ=1, नहीं=2) :

क्या विद्यालय में सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ही नामांकन होता है, यदि हाँ तो 1 अन्यथा 2 का उल्लेख किया जाएगा।

26. क्या विद्यालय भवन का उपयोग एक ही विद्यालय द्वारा अलग-अलग पालियों में किया जाता है:
(हाँ=1, नहीं=2)

यह आँकड़ा उन पाली विद्यालय के लिए लागू है, जहाँ एक ही भवन को एक ही विद्यालय द्वारा अलग-अलग समय उपयोग में लाया जाता है। हाँ के लिए '1' या नहीं के लिए '2' का उल्लेख करें। स्थान/सुविधा की कमी या किसी अन्य कारणों से यदि दो विद्यालय एक ही भवन किन्तु अलग-अलग शीर्ष एवं प्रबंधन में चल रहे हैं तो दोनों विद्यालयों में प्रत्येक को अलग ईकाई मानकर अलग-अलग प्रपत्रों में आँकड़ों को भरा जाना है। यदि दो पालियों में

क) पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या :

ख) पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु कुल शिक्षकों की संख्या :

विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा : यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा (आंगनबाड़ी केन्द्र को छोड़कर) उपलब्ध है और कक्षा I से नीचे भी बच्चों का नामांकन कराया जाता है एवं उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो '1' लिखें। यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा की सुविधा नहीं है तो '2' अंकित करें। कोड 1 भरे जाने की स्थिति में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 30 सितम्बर 2012 को नामांकित कुल बच्चों एवं इस हेतु कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

32. क्या आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर में या विद्यालय के परिसर से सटे किसी भवन/कमरे में है

(हाँ=1, नहीं=2):

यदि हाँ तो,

क) आंगनबाड़ी में छात्रों की कुल संख्या :

ख) आंगनबाड़ी में कार्यरत कुल सेविकाओं की संख्या :

समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। यदि विद्यालय परिसर में या फिर परिसर के किसी दीवार से सटे आंगनबाड़ी केन्द्र है तो कोड 1 भरें अन्यथा कोड 2 भरें।

कोड 1 भरे जाने की स्थिति में -

क. आंगनबाड़ी में नामांकित कुल बच्चों की संख्या भरें।

ख. आंगनबाड़ी में कार्यरत कुल सेविकाओं की संख्या भरें।

33. गत शैक्षणिक सत्र (01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012) का विवरण :

क) शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या :

ख) संकुल साधनसेवी द्वारा किये गये शैक्षिक भ्रमणों की संख्या :

ग) प्रखण्ड साधनसेवी/पदाधिकारी द्वारा किये गये शैक्षिक भ्रमणों की संख्या :

घ) सी.डब्ल्यू.एस.एन.(CWSN) रिसोर्स शिक्षक के द्वारा किये गये शैक्षिक भ्रमणों की संख्या :

(क) शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या : शैक्षणिक सुधार के उद्देश्य से विद्यालय के निरीक्षण के लिए राज्य सरकार के अधिकृत पदाधिकारी (BEEO, AEO, DSE, DEO, RDDE) द्वारा गत शैक्षणिक सत्र में किये गये उन निरीक्षणों जिसका विस्तृत विवरण विद्यालय पंजी में लिखा गया हो, उसकी गणना करनी चाहिए। सरकारी पदाधिकारी द्वारा किया गया सामान्य निरीक्षण जब निरीक्षण प्रतिवेदन लिखित रूप में न हो तो उसकी गणना शैक्षणिक निरीक्षण की संख्या में नहीं की जानी चाहिए।

(ख) संकुल साधन सेवी द्वारा किये गये भ्रमण की संख्या : विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान संकुल साधन सेवी (C.R.Ps) द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन एवं अन्य उद्देश्यों से विद्यालय में कितनी बार भ्रमण किया गया उस संख्या का उल्लेख करें।

(ग) प्रखंड साधन सेवी द्वारा किये गये भ्रमण की संख्या : विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रखंड साधन सेवी द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन एवं अन्य उद्देश्यों से विद्यालय में कितनी बार भ्रमण किया गया उस संख्या का उल्लेख करें

(घ) सी.डब्ल्यू.एस.एन. रिसोर्स शिक्षकों के द्वारा किये गये भ्रमण की संख्या : विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान सी.डब्ल्यू.एस.एन. रिसोर्स शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक अनुसमर्थन एवं अन्य उद्देश्यों से विद्यालय में कितनी बार भ्रमण किया गया उस संख्या का उल्लेख करें।

34. केवल सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों के लिए (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 का) :

34. विद्यालय कोष (01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक) (मध्याह्न भोजन एवं असैनिक कार्य योजना राशि को छोड़कर) :

	प्राप्त राशि (₹)	व्यय राशि (₹)
--	------------------	---------------

क) विद्यालय विकास अनुदान (एस.एस.ए. के अन्तर्गत)		
ख) विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एस.ए. के अन्तर्गत)		
ग) टी.एल.एम./शिक्षक अनुदान (एस.एस.ए. के अन्तर्गत)		
घ) अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि		

- (क) **विद्यालय विकास अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत)** : गत वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल कितनी राशि विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी एवं उसमें से कितना व्यय किया गया ।
प्राथमिक कक्षाओं (I-V) के लिए मानक राशि 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये),
उच्च प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII) के लिए मानक राशि 7000/- रुपये (सात हजार रुपये) एवं प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं (I-VIII) के लिए मानक राशि 12000/- (बारह हजार रुपये) है।
- (ख) **विद्यालय रख-रखाव/मरम्मत अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत)** : गत वित्तीय वर्ष में SSA के अन्तर्गत तीन या तीन से कम कमरे वाले विद्यालय को मानक राशि 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये) तथा तीन से अधिक कमरे वाले विद्यालय को मानक राशि 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) की दर से कितनी राशि विद्यालय को उपलब्ध करायी गयी एवं उसमें से कितना व्यय किया गया ।
- (ग) **शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत)** : विगत वित्तीय वर्ष में विद्यालय के सभी शिक्षकों को उपलब्ध करायी गयी TLM अनुदान की सम्पूर्ण राशि तथा व्यय की गई राशि की प्रविष्टि इसमें की जाय । उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में कार्यरत दो शिक्षकों में से प्रत्येक को रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी हो तो उसकी गणना कर कुल राशि रुपये 1,000/- (2 x 500) अंकित किया जाना चाहिए एवं उसमें से व्यय की गयी राशि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।
- (घ) **अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि (MDM एवं Civilworks को छोड़कर)**- सरकारी अनुदान, दान, वृत्तिदान एवं समुदाय से सहयोग के रूप में प्राप्त निधि आदि को अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि मानते हुए गणना कर उसका उल्लेख करेंगे । मध्याह्न भोजन योजना एवं असैनिक निर्माण कार्य की राशि इसमें नहीं जोड़ा जाना है ।

35. शिक्षक की विवरणी (सभी प्रकार के विद्यालय हेतु)

	स्वीकृत पदों की संख्या					वर्तमान में कार्यरत संख्या				
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	कुल
क. सरकारी / नियमित शिक्षक										
ख. पारा शिक्षक / संविदा शिक्षक										
ग. पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर										

शिक्षक की श्रेणी : वैसे शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार उपलब्ध करानी है जो विद्यालय हेतु स्वीकृत तथा वर्तमान में कार्यरत है ।

इस भाग में उन्हीं शिक्षकों की संख्या भरी जानी चाहिए जो वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत हैं । किसी अन्य विद्यालय से प्रतिनियोजन पर आये शिक्षकों की संख्या भी वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में ही भरी जानी है । जो शिक्षक प्रतिनियोजन पर किसी अन्य विद्यालय में चले गये हैं अथवा किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियोजित हैं उन शिक्षकों की संख्या इस प्रपत्र में नहीं भरी जानी चाहिए । शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या यहाँ शामिल नहीं करें क्योंकि इनके संबंध में जानकारी अलग से तालिका संख्या 'थ' में मांगी गई है ।

(क) **सरकारी /नियमित शिक्षक :** नियमित वेतनमान पाने वाले सरकारी / निजी शिक्षक इस श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगे । इसके अन्तर्गत प्राचार्य/प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं पूर्णरूपेण समय देने के आधार पर कार्य करने वाले दूसरी श्रेणी के शिक्षक जो शिक्षण के लिए पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करते हों, आते हैं । अभिलेख अंकित करने की नियत तिथि को जो शिक्षक कार्य कर रहे हों, उन्हें कार्यरत शिक्षक की संख्या में गणना किया जाना चाहिए । थोड़े समय के लिए अवकाश पर गये शिक्षक या कार्यालय कार्य से गये शिक्षक को भी कार्यरत माना जाना चाहिए । प्राचार्य/प्रधान शिक्षक अगर शिक्षण में नहीं हों फिर भी उन्हें शिक्षक में सम्मिलित किया जाना चाहिए । शारीरिक प्रशिक्षक, संगीत शिक्षक, खेल-कूद शिक्षक जो नियमित वेतनमान पाते हों को भी शिक्षक में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

स्वीकृत पदों की संख्या - प्राथमिक(I-V), उच्च प्राथमिक (VI-VIII) माध्यमिक (IX-X or VIII-X), उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) तथा कुल के लिए अलग-अलग अंकित करें ।

कार्यरत संख्या - प्राथमिक(I-V), उच्च प्राथमिक (VI-VIII)माध्यमिक (IX-X or VIII-X), उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) तथा कुल के लिए अलग-अलग अंकित करें ।

(ख) **पारा शिक्षक/संविदा शिक्षक :** एस.एस.ए. के अन्तर्गत नियुक्त सामुदायिक या पारा शिक्षकों की गिनती इस श्रेणी में की जानी चाहिए । निजी विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक भी इसी श्रेणी में आते हैं । ऐसे शिक्षक सामान्यतः मानदेय पर नियुक्त किये जाते हैं और उन्हें नियमित वेतनमान नहीं दिया जाता है, परन्तु पूरे विद्यालय अवधि के दौरान ये विद्यालय में उपस्थित होते हैं ।

स्वीकृत पदों की संख्या - प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए अलग-अलग अंकित करें ।

कार्यरत संख्या - प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के लिए अलग-अलग अंकित करें।

(ग) **पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर (आर.टी.ई. प्रावधान के अनुरूप):** ऐसे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर जो आर.टी.ई. प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में कक्षा VI-VIII के लिए नियुक्त किये गये हैं और पूरे विद्यालय अवधि के दौरान विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं और आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपनी सेवा विद्यालय को देते हैं । जैसे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य शिक्षा हेतु पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर ।

क. (II) विद्यालय सूचना अनुसूची (केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए)

1. शिक्षण दिवसों एवं विद्यालय अवधि की विवरणी

	प्राथमिक कक्षा के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए
कुल शिक्षण दिवसों की संख्या (अप्रैल 2011-मार्च 2012)		
अवधि (घंटा में) जब बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं (अप्रैल 2012-सितम्बर 2012)	-घंटा	-घंटा
अवधि (घंटा में) जब शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं (अप्रैल 2012-सितम्बर 2012)	-घंटा	-घंटा

कुल शिक्षण दिवसों की संख्या: गत शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012) में विद्यालय जितने दिनों के लिए शिक्षण कार्य हेतु खुला रहा उन दिवसों की संख्या अंकित की जानी है। इसमें आयोजित खेल दिवसों, सांस्कृतिक कार्यक्रम व परीक्षा दिवसों को भी शामिल किया जाना है। यह संख्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग-अलग अंकित की जानी है।

अवधि (घंटा में) जब बच्चे प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं: वर्तमान शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012) में शिक्षण कार्य हेतु प्रतिदिन बच्चे जितनी अवधि के लिए विद्यालय में रहते हैं, इसमें खेल एवं मध्याह्न भोजन अवधि भी शामिल की जानी है, का उल्लेख घंटे में करें। उदाहरण के लिए यदि बच्चे विद्यालय 10.30 बजे से 4.15 बजे तक रहते हैं तो 5.45 घंटा लिखें।

अवधि (घंटा में) जब शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में रहते हैं : वर्तमान शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012) में शिक्षण कार्य हेतु प्रतिदिन शिक्षक जितनी अवधि के लिए विद्यालय में रहते हैं, इसमें शिक्षण तैयारी अवधि, सफाई अवधि, अन्य प्रशासनिक कार्यावधि, इत्यादि भी शामिल की जानी है, का उल्लेख घंटे में करें। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक विद्यालय 10.00 बजे से 4.30 बजे तक रहते हैं तो 6.30 घंटा लिखें।

2. क्या विद्यालय में प्रारंभिक स्तर (Elementary Stage) पर सतत् एवं व्यापक (Continuous and Comprehensive Evaluation) विधि से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है (हाँ=1, नहीं =2) :

यदि हाँ है तो

(क) क्या बच्चों के प्रगति से संबंधित आँकड़े संधारित किए जाते हैं (हाँ=1, नहीं =2) :

(ख) क्या बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित आँकड़ें अभिभावकों के साथ बाँटे जाते हैं। (हाँ=1, नहीं =2):

3.1 केवल मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए (वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 का) :

क) कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या, जिन्होंने RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन दिया (1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012) :

ख) कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या, जिन्हें RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया (1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012) :

क) 1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012 के बीच कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या, जिन्होंने RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन दिया है उनकी संख्या अंकित करें।

ख) 1 अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012 के बीच कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की संख्या जिन्हें RTE के अन्तर्गत 25% कोटा के विरुद्ध कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया उनकी संख्या अंकित करें।

3.2 केवल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए (वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 का) :

- क) सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का प्रतिशत :
- ख) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में बच्चों की कुल संख्या जिन्हें निःशुल्क शिक्षा हेतु कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया
- क) विद्यालय को सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के प्रतिशत का उल्लेख करें ।
- ख) 1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के बीच बच्चों की संख्या जिन्हें निःशुल्क शिक्षा हेतु कक्षा-1 अथवा उससे नीचे की कक्षा में नामांकित किया गया की संख्या का उल्लेख करें ।

- 3.3 क्या विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee, SMC) का गठन किया गया है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0) :
- यदि हाँ है तो

क्र.सं	सदस्यों की विवरणी	पुरुष	महिलाएँ
क)	विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्यों की संख्या		
ख)	विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक/माता-पिता की संख्या		
ग)	विद्यालय प्रबंधन समिति में जन प्रतिनिधि/स्थानीय सरकार/नामित सदस्यों की संख्या		

घ) 1 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित कुल बैठकों की संख्या :

ड.) क्या विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना तैयार करता है (हाँ=1, नहीं=2) :

च) क्या विद्यालय में बच्चों की सूचनाएँ आर.टी.ई. के अनुरूप संधारित की जाती है (हाँ=1, नहीं=2) :

छ) क्या विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए अलग से बैंक खाता संचालित की जा रही है (हाँ=1, नहीं=2) :

यदि हाँ है तो

बैंक का नाम :

शाखा (ब्रांच) :

खाता संख्या :

खाता जिस नाम से है :

IFSC कोड :

केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए : यदि आर.टी.ई. के आलोक में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो ही निम्न सूचनाएँ भरी जानी हैं । विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति (VEC) से अलग संरचना है, जो आर.टी.ई. के आलोक में विद्यालय के लिए गठित की जानी है ।

यदि विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee, SMC) का गठन किया गया है तो हाँ के लिए '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें ।

यदि विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee, SMC) का गठन किया गया है उपरोक्त 'क' से 'छ' तक भरें ।

4. बच्चों के विशेष प्रशिक्षण का विवरण

(छ: वर्ष से अधिक उम्र के विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चे जिन्हें उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकित कराया गया है एवं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है/की जानी है ।)

विवरण	बालक	बालिका
क) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच नामांकित बच्चों की संख्या जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है		
ख) बच्चों की संख्या जिन्हें अप्रैल 2012-30 सितम्बर 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण दिया गया/जा रहा है		
ग) बच्चों की संख्या जिन्हें अप्रैल 2011-मार्च 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया		

घ) बच्चों की संख्या जिन्होंने अप्रैल 2011-मार्च 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण पूर्ण किया		
ड.) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच बच्चों को विशेष प्रशिक्षण किनके द्वारा दी जाती है (लागू नहीं=0, विद्यालय शिक्षक=1, विशेष रूप से लगाये गए शिक्षक=2, 1और2 दोनों=3, NGO =4, अन्य=5, कोई नहीं=6)		
च) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच बच्चों को विशेष प्रशिक्षण कहाँ दी जाती है, उसका कोड भरें (लागू नहीं=0, विद्यालय परिसर में=1, किसी अन्य जगह पर=2, 1और2 दोनों=3)		
छ) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच विशेष प्रशिक्षण के प्रकार का कोड भरें (लागू नहीं=0, आवासीय=1, गैर आवासीय=2, दोनों=3)		
ज) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच शिक्षकों की संख्या, जो बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध है		
झ) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच शिक्षकों की संख्या, जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया है		
ञ) अप्रैल 2012-सितम्बर 2012 के बीच क्या बच्चों को विशेष प्रशिक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध कराई गई (लागू नहीं=0, हाँ=1, नहीं=2)		

5. शैक्षणिक सत्र की शुरुआत किस माह होती है (माह अंक के रूप में) :
- शैक्षणिक सत्र की शुरुआत किस माह होती है : जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 4, दिसम्बर के लिए 12 अंकित करें ।

6. केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए (वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 का) :

6. क्या विद्यालय को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में वितरण हेतु 30 सितम्बर 2012 तक पुस्तक प्राप्त हुई है (हाँ=1, नहीं=2) :.....
- यदि हाँ तो,
- क) पुस्तक वर्तमान सत्र हेतु पहली बार कब प्राप्त किया गयामाहवर्ष
- क्या विद्यालय को अप्रैल 2012-मार्च 2013 सत्र के लिए निःशुल्क वितरण हेतु पुस्तकें प्राप्त हुई है, हाँ के लिए '1' अन्यथा '2' लिखें । यदि हाँ तो, क) पुस्तक इस सत्र हेतु पहली बार कब प्राप्त किया गया, उसका माह एवं वर्ष अंकों में लिखें । उदाहरण के लिए : यदि कक्षा-V, VI एवं VII की सिर्फ हिन्दी की पुस्तकें मई 2012 में प्राप्त हुई तो माह '05' एवं वर्ष '2012' अंकित करें ।

7. कक्षावार पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री (TLE) एवं खेलकूद सामग्री की उपलब्धता :

	प्राथमिक कक्षाओं के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए
क्या प्राप्त पुस्तकों की पूर्ण सेट प्राप्त हुई है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)		
क्या शिक्षण अधिगम सामग्री (TLE) उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)		
क्या खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं =2, लागू नहीं =0)		

क्या प्राप्त पुस्तकों की पूर्ण सेट प्राप्त हुई है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)

यदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पुस्तकें सभी नामांकित बच्चों के लिए पूर्ण सेट में प्राप्त हुई है तो '1' अंकित करें, अपूर्ण सेट या कम बच्चों के लिए पुस्तकें प्राप्त होने की स्थिति में '2' अंकित करें ।

क्या शिक्षण अधिगम सामग्री (TLE) उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=0)

यदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए टी.एल.ई. उपलब्ध है, तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।

क्या खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं =2, लागू नहीं=0)

यदि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए खेल-कूद सामग्री उपलब्ध है, तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें ।

8. केवल माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए :

8. क) शिक्षण दिवसों की संख्या (01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक)

माध्यमिक स्तर :, उच्चतर माध्यमिक स्तर :

ख) क्या विद्यालय में सतत् एवं व्यापक (Continuous and Comprehensive Evaluation) विधि से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है (लागू नहीं=0, हाँ=1, नहीं =2)

माध्यमिक स्तर :, उच्चतर माध्यमिक स्तर :

ग) क्या विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) एक ही संरचना है ? (हाँ=1, नहीं =2) :

यदि नहीं '2' है तो विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) से संबंधित निम्न सूचनाएँ भरें -

क्र.सं	सदस्यों की विवरणी	पुरुष	महिलाएँ
क	विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक/माता-पिता की संख्या		
ख	स्थानीय प्राधिकार/नगरीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या		
ग	शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या		
घ	महिला वर्ग के सदस्यों की संख्या		
ड.	अनु.जाति/अनु.जनजाति समुदाय के सदस्यों की संख्या		
च	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित सदस्यों की संख्या		
छ	लेखा एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा नामित सदस्यों की संख्या		
ज	जिला कार्यक्रम समन्वयक (RMSA) द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित में प्रत्येक से एक) की संख्या		
झ	शिक्षक (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित में प्रत्येक से एक) सदस्यों की संख्या		
ट	उप-प्राचार्य/सहायक प्रधानाध्यापक (सदस्य के रूप में)		
ठ	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक (अध्यक्ष के रूप में)		
द	अध्यक्ष (यदि प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अध्यक्ष ना हो तो)		

i) 01 अप्रैल 2011-मार्च 2012 के दौरान विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) द्वारा की गई कुल बैठकों की संख्या :.....

ii) क्या विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार किया गया है (हाँ=1, नहीं=2, लागू नहीं=3):.....

iii) क्या विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) के लिए अलग से बैंक खाता संचालित की जा रही है (हाँ=1, नहीं=2) :

यदि हाँ '1' है तो

बैंक का नाम :

शाखा (ब्रांच) :

खाता संख्या :

खाता जिस नाम से है :

IFSC कोड :

iv) क्या विद्यालय भवन समिति (SBC) का गठन किया गया है (हाँ=1, नहीं=2) :

v) क्या विद्यालय ने अधिविद्य समिति (Academic Committee) का गठन किया है (हाँ=1, नहीं=2) :

vi) क्या विद्यालय ने अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन किया है (हाँ=1, नहीं=2) :

vii) यदि हाँ '1' है तो, गत शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 के दौरान अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) की आहूत कुल बैठकों की संख्या :.....

ख (I). भौतिक सुविधाएँ, उपकरण एवं उपस्कर

1. **विद्यालय भवन की स्थिति :**
 (प्राइवेट=1, किराए पर=2, सरकारी भवन=3, सरकारी विद्यालय निःशुल्क भवन में=4, भवनहीन=5, जर्जर भवन=6, निर्माणाधीन भवन=7, राशि प्राप्त परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं =10)

विद्यालय भवन की स्थिति : विद्यालय के भवन जिसमें अध्यापन इत्यादि का कार्य होता है की स्थिति निम्नलिखित कोड द्वारा व्यक्त किया जाना है :

1. **प्राइवेट / निजी :** ऐसे निजी विद्यालय जिसका अपना निजी भवन है एवं उसपर किसी व्यक्ति, संस्था का स्वामित्व है तथा यह स्थानीय निकाय या सरकार का नहीं है तो इस तरह के भवन को निजी भवन कहा जायेगा । ऐसे भवन के लिए कोई किराया का भुगतान नहीं किया जाता है ।
2. **किराए पर :** व्यक्तिगत, निजी संस्था, स्थानीय निकाय या किसी सरकार द्वारा विद्यालय चलता हो तथा जिसके भवन हेतु किराया का भुगतान किया जाता हो ।
3. **सरकारी भवन :** इस श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी अन्य एजेन्सी (उदाहरण के लिए शिक्षा, जनजाति कल्याण, समाज कल्याण विभाग या अन्य विभाग) द्वारा विद्यालय का भवन जो शिक्षा उद्देश्यों के लिए सरकार के द्वारा बनाये गये हों, उसके अधीन रखे जायेंगे ।
4. **निःशुल्क भवन में सरकारी विद्यालय :** कुछ सरकारी विद्यालयों को सरकारी भवन नहीं है परन्तु इस कार्य के लिए समुदाय/व्यक्ति विशेष/संस्था द्वारा भवन/कमरा उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए कोई किराया का भुगतान नहीं किया जाता है ।
5. **भवनहीन :** बिना भवन के विद्यालय इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । ऐसे विद्यालय खुले आसमान के नीचे चलते हैं । निर्माणाधीन या ऐसे विद्यालय जिनको निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है इस श्रेणी में नहीं आयेंगे ।
6. **जर्जर :** ऐसे विद्यालय भवन जिसका पूरा भवन जर्जर स्थिति में हो, इस श्रेणी में आयेंगे ।
7. **निर्माणाधीन :** ऐसे भवनहीन विद्यालय जिसका वर्तमान में अपना कोई भवन नहीं है और उसमें नये विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, उसे निर्माणाधीन कोटि में रखा जायेगा । यदि विद्यालय में अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण या कोई मरम्मत कार्य किया जा रहा हो तो वह निर्माणाधीन की श्रेणी में नहीं आयेंगा ।
10. **राशि प्राप्त परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं :** ऐसे भवनहीन विद्यालय जिसका वर्तमान में अपना कोई भवन नहीं है परन्तु निर्माण हेतु राशि प्राप्त हो चुकी है और वर्तमान में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हो सका है, उसे इस कोटि में रखा जायेगा ।

2. **वर्ग कक्ष की विवरणी एवं फर्नीचर की उपलब्धता :**

क)	वर्ग	कुल उपलब्ध वर्गकक्षों की संख्या	निर्माणाधीन कक्षा कमरों की संख्या	फर्नीचर की उपलब्धता (सभी छात्रों के लिए=1, कुछ छात्रों के लिए =2, कुछ भी नहीं=3)
1.	प्रारंभिक कक्षाओं के (1-8) लिए			
2.	वर्ग 9 के लिए			
3.	वर्ग 10 के लिए			
4.	वर्ग 11 के लिए			
5.	वर्ग 12 के लिए			

प्रारंभिक(1-8) कक्षाओं, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11 एवं वर्ग 12 के शैक्षणिक कार्य हेतु निर्मित/उपलब्ध वर्गकक्षों की संख्या, निर्माणाधीन कक्षा कमरों की संख्या एवं छात्रों के लिए उपलब्ध फर्नीचर की सूचना अलग-अलग भरें ।

- ख) वर्गकक्ष को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या (प्रारंभिक स्तर के लिए) :
 ग) वर्गकक्ष को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए) :
अन्य कमरों की संख्या : विद्यालय में प्रारंभिक स्तर एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपलब्ध अन्य कमरों यथा प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय कक्ष, रसोई, प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष इत्यादि अलग-अलग अंकित करें ।

घ) भौतिक स्थिति के अनुसार उपलब्ध वर्ग कक्षाओं/अन्य कमरों की संख्या :

	भवन का प्रकार	वर्ग कक्षाओं की संख्या			अन्य कमरों की संख्या		
		अच्छी स्थिति में	मरम्मत की आवश्यकता		अच्छी स्थिति में	मरम्मत की आवश्यकता	
			आंशिक (₹. 10,000 तक)	अत्यधिक (₹. 10,000 से अधिक)		आंशिक (₹. 10,000 तक)	अत्यधिक (₹. 10,000 से अधिक)
प्रारंभिक कक्षाओं (1-8) के लिए	क. पक्का						
	ख. आंशिक पक्का						
	ग. कच्चा						
	घ. टेन्ट						
माध्यमिक कक्षाओं (9-10) के लिए							
उच्च माध्यमिक कक्षाओं (11-12) के लिए							

वर्ग कक्षाओं की संख्या : विद्यालय में प्रारंभिक(1-8), माध्यमिक (9-10), उच्च माध्यमिक (11-12) हेतु निर्मित एवं उपलब्ध वर्ग कक्षाओं की संख्या, कमरों की भौतिक स्थिति के अनुसार यथा-अच्छी स्थिति में, आंशिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कमरों की संख्या एवं अत्यधिक मरम्मत वाले कमरों की संख्या अलग-अलग अंकित करें ।

अन्य कमरों की संख्या : प्रारंभिक(1-8), माध्यमिक (9-10), उच्च माध्यमिक (11-12) हेतु निर्मित एवं उपलब्ध अन्य कमरों यथा प्रधानाध्यापक कक्षा, कार्यालय कक्षा, रसोई, प्रयोगशाला कक्षा, कम्प्यूटर कक्षा, पुस्तकालय कक्षा, शिक्षा विभाग का अन्य कार्यालय इत्यादि कमरे जो विद्यालय की संपत्ति है उसकी भौतिक स्थिति के अनुसार यथा-अच्छी स्थिति में, आंशिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कमरों की संख्या एवं अत्यधिक मरम्मत वाले कमरों की संख्या अलग-अलग अंकित करें ।

विद्यालय भवन का प्रकार (भवनहीन विद्यालयों के लिए लागू नहीं) : विद्यालय भवन का प्रकार निम्न है-

- (क) **पक्का :** विद्यालय भवन की दीवार पक्की ईंट या पत्थर का बना हो तथा छत ढाला हुआ या लकड़ी/लोहे की शहतीर पर तैयार पक्का छत या टाइल वाला हो तो उसे पक्का भवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- (ख) **आंशिक पक्का :** विद्यालय भवन की दीवार पक्की ईंट/पत्थर की तथा छत नालीदार चादरें या एसबेस्टस सीट या फूस का बना हो तो भवन को आंशिक पक्का भवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- (ग) **कच्चा :** विद्यालय भवन की दीवार कच्ची ईंट/मिट्टी की बनी हो और छत नालीदार चादरें या एसबेस्टस सीट या फूस का बना हो तो भवन को कच्चा भवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- (घ) **टेंट :** तिरपाल से आच्छादित तथा खूँटी एवं रस्सी के सहारे वाले ढाँचे में चलने वाले विद्यालय को टेंट विद्यालय के रूप में माना जाता है ।

3. **कक्षा कमरों के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता (हाँ=1, नहीं=2) :**
यदि विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्षा कमरों के निर्माण हेतु विद्यालय की खाली जमीन उपलब्ध है तो हाँ के लिए '1' अंकित करें अन्यथा नहीं के लिए '2' अंकित करें ।

4. **क्या विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेतु अलग से कमरा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :**
यदि विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेतु अलग से कमरा उपलब्ध है तो हाँ के लिए '1' अन्यथा नहीं के लिए '2' अंकित करें

5. **शौचालय एवं मूत्रालय की विवरण :**

शौचालय	केवल लड़कों के उपयोग हेतु	केवल लड़कियों के उपयोग हेतु
उपलब्ध शौचालयों की संख्या		
चालू हालत वाले शौचालयों की संख्या		
शौचालय की संख्या जिसमें शौचालय के अंदर पानी की सुविधा है		
उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या		

- क) क्या शौचालय/मूत्रालय के समीप हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :
- ख) उपलब्ध शौचालयों में से किसी एक का भी प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के द्वारा किया जा सकता है ? (हाँ=1, नहीं=2) :

शौचालय : विद्यालय में उपलब्ध शौचालय में से केवल लड़कों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या, केवल लड़कियों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या, उपलब्ध कुल शौचालय की संख्या अलग-अलग अंकित करें । एक शौचालय का अर्थ 'एक टॉयलेट पैन' (Toilet Seat) से है ।

चालू हालत वाले शौचालयों की संख्या : विद्यालय में वर्तमान में चालू हालत में (उपयोग में आने वाले) शौचालय की कुल संख्या, केवल लड़कों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या, केवल लड़कियों के उपयोग हेतु शौचालय की संख्या अलग-अलग अंकित करें ।

शौचालय की संख्या जिसमें शौचालय के अंदर पानी की सुविधा है : शौचालय की संख्या जिसमें शौचालय कक्ष के अन्दर पानी का नल लगा हो, अलग-अलग अंकित करें ।

6. विद्यालय में उपलब्ध पेयजल सुविधा (चापाकल=1, कुआँ=2, सप्लाई वाटर=3, अन्य=4, कुछ भी नहीं=5) :
- क) क्या विद्यालय में उपलब्ध पेयजल की सुविधा चालू हालत में है (हाँ=1, नहीं=2) :
- पीने के पानी का मुख्य स्रोत (साधन) जिसका उपयोग विद्यालय द्वारा मुख्य रूप से किया जाता हो को अंकित किया जाना चाहिए । यदि एक से अधिक भी पीने के पानी का स्रोत हो तो भी केवल एक स्रोत को ही अंकित करना चाहिए, जिसका उपयोग ज्यादा किया जाता है । इसके लिए निम्नलिखित विकल्प है - चापाकल (1), कुआँ (2), सप्लाई वाटर (3), अन्य (4), कुछ भी नहीं (5) ।
- यदि विद्यालय में उपलब्ध पेयजल स्रोत चालू/उपयोगी हालत में है तो 1 भरें अन्यथा 2 भरें ।
7. विद्यालय में बिजली की औपचारिक सुविधा (हाँ=1, नहीं=2, हाँ परन्तु चालू हालत में नहीं=3) :
- यदि विद्यालय में बिजली का कनेक्शन लगा हो तथा बिजली का उपकरण विद्यालय परिसर के अन्दर काम करता हो तो माना जायेगा कि विद्यालय में बिजली है । यदि विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है तो (1), नहीं है तो (2) एवं है पर चालू हालत में नहीं है, के लिए (3) की प्रविष्टि करें ।
8. विद्यालय की चाहारदीवारी :
- (पक्की=1, पक्की परन्तु टूटी हुई=2, कँटीले तारों द्वारा=3, बाड़(पौधों द्वारा)=4, कोई चाहारदीवारी नहीं=5, अन्य=6, आंशिक चाहारदीवारी=7, निर्माणाधीन=8)
- विद्यालय की चाहारदीवारी जिस प्रकार की है उसके कोड का उल्लेख करें ।
9. क्या विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है ? (हाँ=1, नहीं=2):
- यदि हाँ '1' है तो,
- क. पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या:
- ख. क्या विद्यालय को पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष (librarian) कार्यरत है (हाँ=1, नहीं=2):
10. क्या विद्यालय सामाचारपत्र/पत्रिका क्रय करता/उपलब्ध कराया जाता है (हाँ=1, नहीं=2) :
11. क्या विद्यालय हेतु खेल का मैदान उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :
- यदि विद्यालय परिसर या इसके आस-पास विद्यालयों के बच्चों के खेलने हेतु खेल का मैदान उपलब्ध है जहाँ विद्यालय के बच्चे जा कर खेलते हैं तो '1' भरें अन्यथा '2' भरें । यह आवश्यक नहीं है कि खेल का मैदान विद्यालय के नाम पर ही हो । खेल का मैदान किसी ट्रस्ट, कम्पनी, सरकार का या सार्वजनिक भी हो सकता है ।
- यदि नहीं है तो, क्या खेलकूद का मैदान बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :
- यदि विद्यालय हेतु खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है तो क्या खेल-कूद मैदान बनाने हेतु विद्यालय के पास प्रयाप्त जमीन उपलब्ध है । सरकारी विद्यालयों के लिए पास में सरकारी जमीन की उपलब्धता को दर्शाएँ ।
12. शैक्षणिक प्रयोगार्थ कम्प्यूटरों की विवरणी:

उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या : चालू हालत में उपलब्ध कम्प्यूटर :
विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध कुल कम्प्यूटर सेटों की संख्या अंकित करें। प्रिंटेर्स, मोडम एवं अन्य सहायक उपकरणों का आँकड़ा प्रपत्र में सम्मिलित नहीं करना है।
शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर सेटों में से वर्तमान में चालू हालात वाले कम्प्यूटरों की संख्या का उल्लेख करें।

13. क्या विद्यालय में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा हेतु कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है:
(हाँ=1, नहीं=2, उपलब्ध परन्तु उपयोग में नहीं लाया जा रहा=3)

यदि विद्यालय में अन्य विषय की पढ़ाई हेतु कम्प्यूटर तथा Multimedia Content का सहारा लिया जाता है और इस हेतु विद्यालय में कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है तो '1' भरे अन्यथा '2' भरें।

14. क्या 01 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 के बीच विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया:
(हाँ=1, नहीं=2)

इसके लिए डॉक्टर/नर्स या प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा भरे गये हेल्थ कार्ड को आधार मानना चाहिए। यदि विगत शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है तो '1' और नहीं किया गया है तो '2' अंकित करें।

15. क्या विकलांग बच्चों को वर्गकक्ष तक पहुँचने हेतु विद्यालय में रैम्प की आवश्यकता है :
(हाँ=1, नहीं=2)

यदि विद्यालय भवन जमीन से उपर उठी हुई है तो ऐसे विद्यालयों में विकलांग बच्चों को वर्गकक्ष तक पहुँचने हेतु रैम्प/ढलान की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी स्थिति में '1' भरें। यदि विद्यालय जमीन के बराबर बनी हुई है और विकलांग बच्चे को वर्गकक्ष तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती है तो '2' भरें।

(क) यदि हाँ '1' है तो विकलांग बच्चों के सहारे के लिए क्या रैम्प उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :

(1) यदि रैम्प उपलब्ध है, तो क्या रैम्प में हैंड रेल लगा हुआ है (हाँ=1, नहीं=2) :

रैम्प (विकलांग बच्चों के सहारे के लिए उपयोगी) : अगर विद्यालय में विकलांग बच्चों के आने जाने की सुविधा के लिए रैम्प/ढलान निर्मित है तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें। यदि विद्यालय में एक से अधिक भवनखण्ड है और किसी एक में भी रैम्प की सुविधा हो तो '1' अंकित करें।

यदि रैम्प उपलब्ध है, और उसमें हैंडरेल हो तो '1' अन्यथा '2' का उल्लेख करें।

16. क्या विद्यालय के लिए मापी आधारित परिसीमा मानचित्र (measured campus plan) तैयार किया गया है (हाँ=1, नहीं=2) :

भविष्य में विद्यालय भवन के विस्तार हेतु क्या मापी आधारित परिसीमा मानचित्र (measured campus plan) तैयार किया गया है यदि हाँ तो 1 अन्यथा 2 का उल्लेख करें।

प्रश्न 17 से 20. केवल माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए :

17. विद्यालय से संलग्न छात्रावास की विवरणी (कक्षा IX-XII):

(क) क्या लड़कों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :

यदि हाँ तो कक्षा छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या :

(ख) क्या लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2) :

यदि हाँ तो छात्रावास में रहने वाले छात्राओं की संख्या :

18. क्या विद्यालय में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध है :

	विवरण	उपलब्धता (हाँ=1, नहीं=2)
क.	सहायक प्रधानाध्यापक / उप-प्रधानाचार्य हेतु अलग से कमरा	
ख	सभाकक्ष (Auditorium)	
ग	लड़कियों के लिए सामान्य कमरा (Common room for Girls)	
घ	शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम (Staff room for teachers)	
ड.	सूचना संचार तकनीकी कक्ष (ICT Lab)	
च	कम्प्यूटर कक्ष (Computer Room)	

छ	इनडोर खेल के लिए कमरा (Room for Indoor Games)	
ज	सह-पाठ्यक्रम/गतिविधि कमरा (Co-curricular/ Activity Room)	
झ	एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड हेतु कमरा (NCC/NSS/Scout & Guide Room)	
ट	प्रथम चिकित्सा हेतु कमरा (First Aid /Medical Room)	
ठ	कर्मचारियों के निवास हेतु कमरा/मकान (प्रधानाध्यापक/प्राचार्य एवं सहायक प्रधानाध्यापक/उप प्राचार्य हेतु आवासीय कमरा सहित) (Staff quarters (including residential quarters for Head Master/Principal and Asst. Head Master/Vice Principal)	
ड	संयुक्त विज्ञान प्रयोगशाला (Integrated Science laboratory) ? संयुक्त प्रयोगशाला में भौतिकी, रसायन, एवं जीव विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं । (Integrated laboratory is the one in which Physics, Chemistry and Biology practical are held) केवल माध्यमिक स्तर के लिए	
ढ	पुस्तकालय कक्ष (Library Room)	

19. क्या विद्यालय में निम्न सुविधाएँ हैं (केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए) :

क्र.सं. Sl.No.	प्रयोगशाला Laboratory	क्या प्रयोगशाला हेतु अलग से कमरा उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2)	प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति (उपकरणों से पूर्णरूपेण सुसज्जित=1, उपकरणों से आंशिक सुसज्जित=2, उपकरणों से सुसज्जित नहीं=3, उपलब्ध नहीं=4)
1	भौतिक विज्ञान Physics		
2	रसायन शास्त्र Chemistry		
3	जीव विज्ञान Biology		
4	कम्प्यूटर Computer		
5	गणित Mathematics		
6	भाषा Language		
7	भूगोल Geography		
8	गृह विज्ञान Home Science		
9	मनोविज्ञान Psychology		

20. क्या विद्यालय में निम्न सुविधाएँ / उपकरण उपलब्ध हैं :

क्र.सं. Sl.No.	उपकरण Equipment	क्या उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2)
1	टेलीविजन Television	
2	ऑडियो/दृश्य/माईक सिस्टम Audio/Visual/Public Address System	
3	भी.सी.आर/सी.डी./डी.भी.डी. प्लेयर VCR /CD/DVD Player	
4	टैप रिकॉर्डर Tape Recorder	
5	एल.सी.डी./ एल.ई.डी. प्रोजेक्टर LCD /LED Projector	
6	ओवरहेड प्रोजेक्टर Overhead Projector	
7	रेडियो Radio	
8	केवल टी.भी / डिजिटल टी.भी Cable TV/Digital TV	
9	संगीत वाद्ययंत्र Musical Instruments	
10	स्कूल बैंड सेट School Band Set	
11	के-यान (के-यान ऐसा उपकरण है जिसमें एलसीडी, कम्प्यूटर, आदि की सुविधा एक साथ उपलब्ध रहती है ।) K-YN Equipment (K-YN is an equipment in which facilities like LCD, Computer, etc. are available in single equipment.)	

क्र.सं. Sl.No.	उपकरण Equipment	क्या उपलब्ध है (हाँ=1, नहीं=2)
12	टाइपराइटर Type writer	
13	जेरोक्स/फोटोकॉपियर/साइक्लोस्टाइल मशीन Xerox Machine/Photocopier/Cyclostyle Machine	
14	अग्निशमन यंत्र Fire Extinguisher	
15	स्वच्छ पानी हेतु फिल्टर एवं कूलर Water Cooler and Water Filter	
16	इंटरनेट की सुविधा Internet Connection	
17	भवन शिक्षण अधिगम के रूप में (क्या विद्यालय भवन के विभिन्न अवयवों को शिक्षण हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है ?) Building is used As Learning Aid (BALA)	
18	क्या वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को स्थापित किया गया है Is rain water harvesting Implemented	

ख. (II) मध्याह्न भोजन से संबंधित सूचनाएँ

केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा भरा जाए

- 1. मध्याह्न भोजन की स्थिति :**
(लागू नहीं=0, उपलब्ध नहीं करायी जाती है=1, विद्यालय में तैयार कर उपलब्ध करायी जाती है=2, उपलब्ध करायी जाती है परन्तु विद्यालय में तैयार नहीं की जाती=3)
यदि विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो कोड 1 भरें ।
यदि विद्यालय में तैयार/पकाकर बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो कोड 2 भरें
यदि विद्यालय के बाहर/बाजार से पका/तैयार मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, तो कोड 3 भरें ।
(i) यदि विद्यालय में तैयार/पकाकर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाती है तो -
क) किचन शेड की उपलब्धता (हाँ=1, नहीं=2, निर्माणाधीन/राशि प्राप्त=3, अतिरिक्त वर्गकक्ष=4) :
ख) कुल उपलब्ध सहायिकाओं/रसोइयों की संख्या :पुरुष
महिला
यदि विद्यालय में अलग से किचन शेड उपलब्ध है तो 1 भरें ।
यदि विद्यालय में अलग से किचन शेड उपलब्ध नहीं है तो 2 भरें ।
यदि विद्यालय में अलग से किचन शेड निर्माणाधीन है या निर्माण हेतु राशि विद्यालय को प्राप्त है तो 3 भरें ।
यदि विद्यालय में किचन शेड निर्माणाधीन है या इस हेतु राशि प्राप्त है और वर्तमान में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का उपयोग रसोई घर के रूप में किया जा रहा है तो भी कोड 3 भरें ।
यदि विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का उपयोग रसोईघर के रूप में किया जा रहा है तथा किचन शेड के निर्माण हेतु कोई भी राशि विद्यालय को प्राप्त/उपलब्ध नहीं है तो 4 भरें ।
(ii) यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है परन्तु विद्यालय में तैयार/पकाया नहीं जाता है तो -
मध्याह्न भोजन का स्रोत :
(नजदीक का विद्यालय=1, गैर सरकारी संगठन=2, स्वयंसेवी संस्था=3, माता समिति/अभिभावक शिक्षक संगठन=4, अन्य=5, ग्राम पंचायत=6, केन्द्रीय रसोई=7)
यदि गैर सरकारी संगठन हो तो आपूर्तिकर्ता का नाम :
यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराई जाती है परन्तु विद्यालय में तैयार नहीं किया जाता है तो मध्याह्न भोजन के स्रोत का कोड भरें :
नजदीक का विद्यालय - 1 गैर सरकारी संगठन - 2 स्वयं सेवी संस्था - 3
माता समिति / अभिभावक शिक्षक संगठन - 4 अन्य - 5
ग्राम पंचायत-6, केन्द्रीय रसोई-7
यदि किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा माध्यह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही हो तो उसका नाम भी लिखें ।
- 2. क्या विद्यालय को मध्याह्न भोजन पकाने हेतु आवश्यक उपकरण/बर्तन के क्रय हेतु कभी अनावर्ती अनुदान मिला है (हाँ=1, नहीं=2) :**
- 3. 01 अप्रैल 2011-31 मार्च 2012 में नामांकित कुल बच्चों में से कितने बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन लेने हेतु इच्छा जतायी गई :** छात्रों की संख्या..... छात्राओं की संख्या
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय के जितने बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन लेने की इच्छा जतायी गई यह संख्या कभी भी गत शैक्षणिक सत्र के कुल नामांकन से ज्यादा नहीं होगा । विद्यालय में वैसे बच्चों की संख्या जो कभी भी विद्यालय का मध्याह्न भोजन नहीं लेते हैं, उनकी संख्या को कुल नामांकन से घटा कर यह ज्ञात किया जा सकता है ।
- 4. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में कुल कितनी प्लेटें भोजन बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में उपलब्ध कराया गया :**.....

गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में कुल कितनी प्लेटें मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध करायी गयी, इसका उल्लेख करें। उदाहरण के लिए मान लिया जाय कि विद्यालय में 210 दिन मध्याह्न भोजन खिलाया गया और प्रथम दिन कुल 80 बच्चों को, द्वितीय दिन कुल 95 बच्चों को, तृतीय दिन कुल 75 बच्चे को....और इस तरह 210वें दिन कुल 100 बच्चों को खाना खिलाया गया तो हर दिन जितने बच्चों को खाना खिलाया गया उसे जोड़ कर जो संख्या आएँगी (80+95+75+.....+100) उसे अंकित करें।

5. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में कुल कितने दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया :
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में कुल कितने दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया, इसका उल्लेख करें। उपर के उदाहरण में कुल 210 दिन मध्याह्न भोजन खिलाया गया।
6. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया ? :
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया, इसकी संख्या का उल्लेख करें।
7. 01 अप्रैल 2011 - 31 मार्च 2012 में समुदाय के सदस्यों द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया ? :
गत शैक्षणिक सत्र (2011-12) में समुदाय के सदस्यों द्वारा कितनी बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण किया गया, इसकी संख्या का उल्लेख करें।
8. यदि विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायी जाती है तो
(क) क्या भोजन करने से पूर्व तथा खाने के बाद हाथ धोने की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध है ?
(हाँ=1, नहीं=2) :
यदि हाँ '1' है तो क्या यह चालू हालत में है : (हाँ=1, नहीं=2) :

क्र. सं.	शिक्षक आधार नम्बर	शिक्षक का नाम	लिंग (पुरुष = 1, महिला = 2)	जन्म तिथि dd/mm/yy	कोटि ¹	शिक्षक का प्रकार ²	नियुक्ति का प्रकार ⁸	नियुक्ति का वर्ष	उच्चतम योग्यता		कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं ⁵	विषय जिसके लिए नियुक्ति हुई है ⁶	मुख्यतः किन विषयों को पढ़ाते हैं		अप्रैल 2011 - मार्च 2012 के बीच प्राप्त सेवारत प्रशिक्षण दिनों की संख्या	गैर-शैक्षणिक कार्यों में बिताये गये कार्य दिवस	गणित की शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त की है ³	अंग्रेजी/भाषा की शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त की है ³	सामाजिक विज्ञान की शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त की है ³	वर्तमान विद्यालय में किस वर्ष से कार्यरत है	विकलांगता की स्थिति ⁷	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त है (हाँ=1, नहीं=2)		
									शैक्षणिक ³	व्यवसायिक ⁴			प्रथम विषय ⁶	द्वितीय विषय ⁶									केवल प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों के लिए	अन्य
11																								
वैवाहिक स्थिति ⁹ :; धर्म कोटि ¹⁰ :; वर्तमान वेतनमान/मानदेय :; गृह गाँव का नाम :; गृह प्रखण्ड का नाम:; गृह जिला का नाम :; अन्य विद्यालय से प्रतिनियोजित ¹¹ :; प्रतिनियोजन की तिथि (dd/mm/yy):																								
12																								
वैवाहिक स्थिति ⁹ :; धर्म कोटि ¹⁰ :; वर्तमान वेतनमान/मानदेय :; गृह गाँव का नाम :; गृह प्रखण्ड का नाम:; गृह जिला का नाम :; अन्य विद्यालय से प्रतिनियोजित ¹¹ :; प्रतिनियोजन की तिथि (dd/mm/yy):																								

- (1) **कोटि:** सामान्य=1, अनुसूचित जाति=2, अनुसूचित जनजाति=3, अन्य पिछड़ी जाति=4, अन्य आरक्षित जातियाँ=5, अन्य=6, मुस्लिम अल्पसंख्यक=10 ;
- (2) **शिक्षक का प्रकार:** प्रधानाध्यापक=1, प्रभारी प्रधानाध्यापक=2, शिक्षक/सहायक शिक्षक=3, पारा शिक्षक=4, RTE के आलोक नियुक्त पार्ट टाइम ईन्सट्रक्टर=5, प्रिंसिपल=6, वाईस प्रिंसिपल=7,
- (3) **उच्चतम योग्यता शैक्षणिक:** पूर्व माध्यमिक=1, माध्यमिक=2, उच्चतर माध्यमिक=3, स्नातक=4, स्नातकोत्तर=5, एम. फिल=6, पी.एच.डी=7, पोस्ट डॉक्टोरल=8 ;
- (4) **उच्चतम योग्यता व्यवसायिक:** न्यूनतम दो वर्षीय शिक्षक डिप्लोमा प्रशिक्षण/ D.Ed.(पी.टी.टी.)=1, प्रारंभिक शिक्षा का स्नातक (B.El.Ed.)=2, बी.एड. या समकक्ष=3, एम.एड. या समकक्ष=4, अन्य=5, कुछ भी नहीं=6, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा / डिग्री=7, डी.पी.ई. (पूर्ण)=11, सेवाकालीन एक वर्षीय प्रशिक्षण=12, डी.पी.ई. (अध्ययनरत)=50, एन.आई.ओ.एस.=51;
- (5) **कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं :** केवल प्राथमिक=1, केवल उच्च प्राथमिक=2, अधिकांश प्राथमिक=3, अधिकांश उच्च प्राथमिक=4, सिर्फ माध्यमिक=5, उच्च माध्यमिक=6, अधिकांश माध्यमिक=7, अधिकांश उच्च माध्यमिक=8 ;
- (6) सभी विषय (1), भाषा (2), गणित (3), पर्यावरण विषय (4), खेल (5), संगीत (6), विज्ञान (7), समाज शास्त्र (8), क्षेत्रीय भाषा (11), अंग्रेजी (12), हिन्दी (13), संस्कृत (14), अन्य भाषा (15), फिजिकल विज्ञान (16), जीव विज्ञान (17), सामाजिक विज्ञान (18), कम्प्यूटर शिक्षा (19), नृत्य (20), लेखा (21), कृषि (22), जीव विज्ञान (23), व्यवसायिक शास्त्र (24), रसायन विज्ञान (25), कम्प्यूटर विज्ञान (26), अर्थशास्त्र (27), अभियंत्रण नक्शा (28), फाइन आर्ट्स (29), भूगोल (30), इतिहास (31), गृह विज्ञान (32), दर्शनशास्त्र (33), भौतिकी (34), राजनीति विज्ञान (35), मनोविज्ञान (36), विदेशी भाषा (37), समाज शास्त्र (38), उर्दू (39), कला/शिल्प (क्राफ्ट) (91), स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (92), कार्य शिक्षा (93) एवं अन्य (0) ।
- (7) **विकलांगता का प्रकार:** कुछ भी नहीं=1, अस्थि विकलांग=2, नेत्रहीन=3, अन्य=4
- (8) **नियुक्ति का प्रकार :** नियमित=1, संविदा=2, पार्ट टाइम(अंशकालीन)=3;
- (9) **वैवाहिक स्थिति :** विवाहित=1, अविवाहित=2;
- (10) **धर्म कोटि :** हिन्दु=1, मुस्लिम=2, सिक्ख=3, ईसाई=4, जैनी=5, बुद्ध=6, अन्य=7;
- (11) **अन्य विद्यालय से प्रतिनियोजित:** हाँ=1, नहीं=2;

घ. नया नामांकन की स्थिति

कक्षा →			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
			B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ																									
01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 तक	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के बिना																									

1. गत शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर के बाद नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के साथ) : 01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।
2. गत शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर के बाद नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना) : 01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।
3. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर से पहले नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के साथ) : 01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।
4. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर से पहले नया प्रवेश (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना) : 01 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 के बीच प्रत्येक कक्षा में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के बिना नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या इस मद में अंकित की जानी चाहिए ।

घ. (I) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में कक्षा-I में नया नामांकन

	उम्र के अनुसार कक्षा-I में नामांकित बच्चों की संख्या					कक्षा-I में कुल नामांकन	कक्षा-I में नामांकित कितने बच्चों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की		
	<5	5	6	7	>7		इसी विद्यालय से	दूसरे विद्यालय से	आंगनबाडी/पूर्वबालपन केन्द्र से
Boys									
Girls									
Total									

इस भाग में वर्तमान शैक्षणिक सत्र (1 अप्रैल 2012 से 30 सितम्बर 2012 तक) में कक्षा-I में नये नामांकन की विस्तृत विवरणी भरी जानी है, इसमें उम्र के अनुसार कक्षा-I में नये नामांकित बच्चों की संख्या भरी जानी है तथा कक्षा-I में कुल नये नामांकन भरी जानी है ।

कक्षा-1 में नामांकित कितने बच्चों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इसकी जानकारी भी अलग-अलग भरी जानी है, जो कक्षा-1 में नामांकन से पूर्व अपनी प्राथमिक शिक्षा इसी विद्यालय से/ दूसरे विद्यालय से / आंगनबाड़ी (पूर्व बापलन केन्द्र) से पूरी की है। कुछ एक छात्र/छात्रा बिना पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए भी कक्षा-1 में नामांकित हो सकते हैं।

ड. वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (जाति के अनुसार)

कक्षा →	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	
Sections in classes (उप-वर्गों की संख्या)																											
A - सामान्य जाति																											
B - अनुसूचित जाति																											
C - अनुसूचित जनजाति																											
D - अन्य पिछड़ी जाति																											
E - कुल (A + B + C + D)																											
कुल संख्या में से मुस्लिम जाति																											

कक्षाओं में उपवर्गों की संख्या : जब कभी एक कक्षा में अत्यधिक छात्र-छात्राएँ नामांकित हो जाते हैं तो अध्यापन की सुविधा को ध्यान में रखकर उस कक्षा को दो या दो से अधिक खण्डों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग छात्र उपस्थिति पंजी संधारित की जाती है, तो ऐसे खण्डों को उप कक्षा या उप वर्ग या वर्ग खण्ड कहते हैं। एक कक्षा में दो या दो से अधिक उप कक्षाएँ (section) हो सकती हैं, जो छात्र-छात्राओं की संख्या पर निर्भर करता है।

- A- सामान्य जाति के छात्र-छात्रा :** वैसे छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित की जानी चाहिए जो सामान्य जाति की श्रेणी में आते हैं ।
- B- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा :** वैसे जाति के छात्र-छात्राएँ जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित किया जाता है की संख्या अंकित की जानी चाहिए ।
- C- अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रा :** वैसे जाति के छात्र-छात्राएँ जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है की संख्या अंकित की जानी चाहिए ।
- D- अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्रा :** वैसे जाति के छात्र-छात्राएँ जिन्हें सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है की संख्या अंकित की जानी चाहिए ।
- E- कुल नामांकन :** ऊपर वर्णित 'A' से 'D' के सभी विद्यार्थियों की संख्या जोड़कर लिखें । यह संख्या कक्षा में नामांकित कुल बच्चों की संख्या होगी जिसमें सभी जाति के छात्र-छात्रा सम्मिलित होंगे ।
- F- कुल संख्या में से मुस्लिम जाति :** कुल नामांकित बच्चों में से मुस्लिम जाति के छात्र-छात्राओं की संख्या कक्षावार अलग से भरें ।

(च) वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (आयु वर्ग के अनुसार)

नोट : इस तालिका का कुल नामांकन हर हाल में तालिका संख्या ड. के कुल के बराबर होगा ।

Class	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
< 5																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
>21																								
Total																								

आयु पूर्ण वर्षों में : विद्यालय की प्रवेश पंजी में अंकित जन्म तिथि के अनुसार 30 सितम्बर को छात्र-छात्राओं की आयु की गणना की जानी चाहिए । कृपया छात्र-छात्राओं की वर्तमान आयु की गणना 30 सितम्बर 2012 को पूर्ण वर्षों में करेंगे । (कृपया सम्पूर्ण वर्ष के बाद बचे माह एवं दिन को गणना में सम्मिलित नहीं करेंगे) उदाहरणार्थ - अगर किसी बच्चा की आयु 30-09-2012 को 7 वर्ष 11 महीना हो तो उम्र 7 वर्ष अंकित किया जाएगा न कि 8 वर्ष । बच्चे के आयु अनुसार कक्षावार नामांकन की सूचना भरें ।

(छ) वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (शिक्षण माध्यम के अनुसार)

नोट :- यदि शिक्षण का माध्यम सिर्फ एक हो तो इस तालिका को ना भरें । इस तालिका का कुल नामांकन हर हाल में तालिका संख्या ड./च के बराबर होगा ।

कक्षा →	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	
A – माध्यम 1																											
B – माध्यम 2																											
C – माध्यम 3																											
D – माध्यम 4																											
E – कुल (A + B + C + D)																											

विद्यालय में वर्गवार छात्र/छात्राओं के लिए जिस भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की गयी है उनकी संख्या अंकित की जानी है । कुल नामांकन हर हाल में तालिका संख्या ड./च के कुल के बराबर होगा । शिक्षण के माध्यम का भी उल्लेख करें ।

(ज) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में कक्षावार पुनरावर्तकों (Repeaters) की संख्या (जाति के अनुसार)

कक्षा →	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	
A - सामान्य जाति																											
B - अनुसूचित जाति																											
C - अनुसूचित जनजाति																											
D - अन्य पिछड़ी जाति																											
E - कुल (A + B + C + D)																											
कुल संख्या में से मुस्लिम																											

पुनरावर्तक (Repeater) : पुनरावर्तक (Repeater) उसे कहेंगे जो किसी एक कक्षा में एक वर्ष या उससे अधिक वर्षों से पढ़ रहा है ।

जातिवार रिपीटर की संख्या कक्षावार अलग-अलग अंकित करें ।

कुल रिपीटर में से मुस्लिम जाति के रिपीटर की संख्या कक्षावार अलग से अंकित करें ।

(झ) प्रोत्साहन/सुविधा (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में) - प्राथमिक कक्षाओं के लिए

सुविधा के प्रकार	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		कुल		कुल संख्या में से मुस्लिम जाति	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक												
निःशुल्क पठन पाठन सामग्री												
निःशुल्क पोशाक												
छात्रवृत्ति												
निःशुल्क वाहन सुविधा												
निःशुल्क आवासीय सुविधा												

प्राथमिक कक्षाओं में 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाओं से लाभान्वित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या अलग-अलग भरेंगे । कुल संख्या में से मुस्लिम जाति के लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या भरें ।

1. **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
2. **निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क लेखन सामग्री यथा-कलम, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी गयी है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
3. **निःशुल्क पोशाक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराया गया हो उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
4. **छात्रवृत्ति** : जितने छात्र-छात्राओं ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त किया हो उनकी संख्या अंकित करें ।
5. **निःशुल्क वाहन सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि विद्यालय आने हेतु किसी प्रकार की वाहन सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
6. **निःशुल्क आवासीय सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय में रहने हेतु किसी प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।

(ज) प्रोत्साहन/सुविधा (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में) - उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए

सुविधा के प्रकार	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		कुल		कुल संख्या में से मुस्लिम जाति	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक												
निःशुल्क पठन पाठन सामग्री												
निःशुल्क पोशाक												
छात्रवृत्ति												
निःशुल्क वाहन सुविधा												
निःशुल्क आवासीय सुविधा												
साईकिल												

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाओं से लाभान्वित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या अलग-अलग भरेंगे । कुल संख्या में से मुस्लिम जाति के लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या भरें ।

1. **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
2. **निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क लेखन सामग्री यथा-कलम, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी गयी है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
3. **निःशुल्क पोशाक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराया गया हो उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
4. **छात्रवृत्ति** : जितने छात्र-छात्राओं ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त किया हो उनकी संख्या अंकित करें ।
5. **निःशुल्क वाहन सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि विद्यालय आने हेतु किसी प्रकार की वाहन सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
6. **निःशुल्क आवासीय सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय में रहने हेतु किसी प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
7. **साईकिल** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में निःशुल्क साईकिल दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।

(ज 1) प्रोत्साहन/सुविधा (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में) - केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए

सुविधा के प्रकार	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		कुल		कुल संख्या में से मुस्लिम जाति	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक												
निःशुल्क पठन पाठन सामग्री												
निःशुल्क पोशाक												
छात्रवृत्ति												
निःशुल्क वाहन सुविधा												
निःशुल्क आवासीय सुविधा												
साईकिल												

केवल माध्यमिक कक्षाओं में 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाओं से लाभान्वित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या अलग-अलग भरेंगे । कुल संख्या में से मुस्लिम जाति के लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या भरें ।

1. **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
2. **निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क लेखन सामग्री यथा-कलम, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी गयी है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
3. **निःशुल्क पोशाक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराया गया हो उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
4. **छात्रवृत्ति** : जितने छात्र-छात्राओं ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त किया हो उनकी संख्या अंकित करें ।
5. **निःशुल्क वाहन सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि विद्यालय आने हेतु किसी प्रकार की वाहन सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
6. **निःशुल्क आवासीय सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय में रहने हेतु किसी प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
7. **साईकिल** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में निःशुल्क साईकिल दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।

(ज II) प्रोत्साहन/सुविधा (गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में) - केवल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए

सुविधा के प्रकार	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति		कुल		कुल संख्या में से मुस्लिम जाति	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक												
निःशुल्क पठन पाठन सामग्री												
निःशुल्क पोशाक												
छात्रवृत्ति												
निःशुल्क वाहन सुविधा												
निःशुल्क आवासीय सुविधा												
साईकिल												

केवल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाओं से लाभान्वित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या अलग-अलग भरेंगे । कुल संख्या में से मुस्लिम जाति के लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या भरें ।

1. **निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
2. **निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क लेखन सामग्री यथा-कलम, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध करायी गयी है उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
3. **निःशुल्क पोशाक** : पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराया गया हो उन छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित करें ।
4. **छात्रवृत्ति** : जितने छात्र-छात्राओं ने पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त किया हो उनकी संख्या अंकित करें ।
5. **निःशुल्क वाहन सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में यदि विद्यालय आने हेतु किसी प्रकार की वाहन सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
6. **निःशुल्क आवासीय सुविधा** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में विद्यालय में रहने हेतु किसी प्रकार की निःशुल्क आवासीय सुविधा दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।
7. **साईकिल** : जितने छात्र-छात्राओं को पिछले शैक्षणिक सत्र (2011-12) में निःशुल्क साईकिल दी गई हो तो उनकी संख्या अंकित करें ।

(ट) वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2012-13) में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या

कक्षा →	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	
दृष्टिदोष (पूर्ण अंधापन) Visual Impairment (Blindness)																									
दृष्टिदोष (कम दृष्टि) Visual Impairment (Blindness)																									
बधिर Hearing Impairment																									
मूक / हकलापन Speech impairment																									
अस्थि विकलांग Locomotor Impairment																									
मानसिक विकलांग Mental Retardation																									
अधिगम विकलांगता Learning disability																									
प्रमस्तिष्किय पक्षाघात Cerebral Palsy																									
औटिज्म Autism																									
बहु विकलांग Multiple disability																									
कुल																									

(ठ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में उपलब्ध कराए गये निःशुल्क सुविधा/उपकरण

सुविधा के प्रकार	प्रारंभिक (I-VIII)		मध्यमिक (IX-X)		उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
ब्रेल पुस्तक Brail Books						
ब्रेल किट Brail Kits						
कम दृष्टि हेतु किट/चश्मा Low vision Kit						
श्रवण यंत्र Hearing Aid						
कमजोर मांसपेशियों को सहारा देने वाला यंत्र Braces						
बैशाखी Crutches						
व्हील चेयर Wheel Chair						
तिपहिया साईकिल Tri-Cycle						
कैलीपर Caliper						

01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच विद्यालय में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले जितने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क सुविधाओं/उपकरणों का वितरण किया गया है, उसकी संख्या भरें ।

तालिका संख्या (ड) से (थ) केवल माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा भरा जाए

(ड) विद्यालय में संचालित संकाय (2012-13 के लिए)

संकाय Streams	क्या संचालित है (हाँ=1, नहीं=2) Whether Exists (Yes=1, No=2)
कला Arts	
विज्ञान Science	
वाणिज्य Commerce	
व्यवसायिक Vocational	
अन्य Other Streams	

विद्यालय/कॉलेज में जिस संकाय की पढ़ाई होती है उसके अनुसार उसका कोड भरें। अन्य संकाय की स्थिति में संकाय का नाम भी भरें।

(ढ) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 में पढ़ने वाले बच्चों एवं पुनरावर्तकों (Repeaters) की संख्या

(केवल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए)

पढ़ रहे बच्चों एवं पुनरावर्तकों की संख्या पीछे के तालिकाओं में उपलब्ध कराए गए संख्याओं से मिलान कर भरें

संकाय Stream	समाजिक श्रेणी Social Category	पढ़ने वाले बच्चे की संख्या Enrolment				पुनरावर्तक Repeaters			
		कक्षा-11 Class XI		कक्षा-12 Class XII		कक्षा-11 Class XI		कक्षा-12 Class XII	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
कला संकाय Arts	सामान्य								
	अनुसूचित जाति								
	अनुसूचित जनजाति								
	अन्य पिछड़ा वर्ग								
	कुल								

	कुल में से मुस्लिम									
विज्ञान संकाय Science	सामान्य									
	अनुसूचित जाति									
	अनुसूचित जनजाति									
	अन्य पिछड़ा वर्ग									
	कुल									
	कुल में से मुस्लिम									
वाणिज्य संकाय Commerce	सामान्य									
	अनुसूचित जाति									
	अनुसूचित जनजाति									
	अन्य पिछड़ा वर्ग									
	कुल									
	कुल में से मुस्लिम									
व्यवसाय संकाय Vocational	सामान्य									
	अनुसूचित जाति									
	अनुसूचित जनजाति									
	अन्य पिछड़ा वर्ग									
	कुल									
	कुल में से मुस्लिम									
अन्य संकाय Other Streams	सामान्य									
	अनुसूचित जाति									
	अनुसूचित जनजाति									
	अन्य पिछड़ा वर्ग									
	कुल									
	कुल में से मुस्लिम									

**(ण. I) गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में वर्ग 10वीं की परीक्षा (सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./मैट्रिक बोर्ड) परिणाम
(केवल माध्यमिक विद्यालयों के लिए)**

श्रेणी	10वीं की परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या			10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
सामान्य General						
अनुसूचित जाति SC						
अनुसूचित जनजाति ST						
अन्य पिछड़ा वर्ग OBC						
कुल Total						
कुल में से मुस्लिम Muslim out of Total						

**(ण. II) गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में वर्ग 10वीं की परीक्षा (सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./मैट्रिक बोर्ड) में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या
(केवल माध्यमिक विद्यालयों के लिए)**

Range of Marks/ Grade प्राप्तांक	General Students सामान्य बच्चे		SC Students अनुसूचित जाति बच्चे		ST Students अनुसूचित जनजाति बच्चे		OBC Students अन्य पिछड़ा वर्ग बच्चे		Total Pass Out कुल उत्तीर्ण बच्चे		Muslim out of Total कुल में से मुस्लिम	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
Minimum Passing % to 40%												
40.01% to 60%												
60.01% to 80%												
Above 80%												
Total Passed कुल उत्तीर्ण												

**(ण. III) गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में वर्ग 12वीं की परीक्षा (सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./राज्य बोर्ड) परिणाम
(केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए)**

संकाय Stream	12वीं की परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या										12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या													
	General सामान्य		SC अनुसूचित जाति		ST अनुसूचित जनजाति		OBC अन्य पिछड़ा वर्ग		Total कुल		Muslim out of Total कुल में से मुस्लिम		General सामान्य		SC अनुसूचित जाति		ST अनुसूचित जनजाति		OBC अन्य पिछड़ा वर्ग		Total कुल		Muslim out of Total कुल में से मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
कला Arts																								
विज्ञान Science																								
वाणिज्य Commerce																								
व्यवसाय प्रक्रिया Vocational Courses																								
अन्य संकाय Other Streams																								
कुल Total																								

**(ण. IV) गत शैक्षणिक सत्र 2011-12 में वर्ग 12वीं की परीक्षा (सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./राज्य बोर्ड) में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या
(केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए)**

Range of Marks/ Grade प्राप्तांक	General Students सामान्य बच्चे		SC Students अनुसूचित जाति बच्चे		ST Students अनुसूचित जनजाति बच्चे		OBC Students अन्य पिछड़ा वर्ग बच्चे		Total Pass Out कुल बच्चे		Muslim out of Total कुल में से मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G

Minimum Passing % to 40%												
40.01% to 60%												
60.01% to 80%												
Above 80%												
Total Passed उत्तीर्ण	कुल											

(त) प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी रुपये में (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से आच्छादित विद्यालयों के लिए)

Sl. No. क्र. सं.	Details of school level grants under RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय स्तर के अनुदान का विवरण	Grants received under the RMSA, 2011-12 (In Rs.) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विद्यालय को प्राप्त अनुदान	Grants utilized/spent under the RMSA, 2011-12 (In Rs.) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विद्यालय द्वारा अनुदान का उपयोग/खर्च	Spillovers as on 1st April 2012 (In Rs.) 01 अप्रैल 2012 को शेष राशि
1	2	3	4	5
(i)	Civil works असैनिक कार्य			
(ii)	Annual School Grants (recurring) विद्यालय वार्षिक अनुदान (आवर्ती)			
	(a) Minor repair / maintenance अल्प मरम्मती/रख-रखाव			
	(b) Repair and replacement of laboratory equipments, purchase of laboratory consumables and articles etc. प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मती एवं प्रतिस्थापन, प्रयोगशाला उपभोग सामग्रियों का क्रय इत्यादि ।			
	(c) Purchase of books, periodicals, newspapers etc. पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं सामाचार पत्र आदि का क्रय			

Sl. No. क्र. सं.	Details of school level grants under RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय स्तर के अनुदान का विवरण	Grants received under the RMSA, 2011-12 (In Rs.) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विद्यालय को प्राप्त अनुदान	Grants utilized/spent under the RMSA, 2011-12 (In Rs.) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विद्यालय द्वारा अनुदान का उपयोग/खर्च	Spillovers as on 1st April 2012 (In Rs.) 01 अप्रैल 2012 को शेष राशि
1	2	3	4	5
	(d) Grant for Meeting, water, telephone and electricity charges बैठक, पानी, बिजली एवं दूरभाष आदि हेतु अनुदान			
(iii)	Others अन्य			
(iv)	Total (Grants at the School Level) कुल (विद्यालय स्तर पर अनुदान)			

(थ) शिक्षकेत्तर / प्रशासनिक / सहायक कर्मियों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या

	स्वीकृत इकाई No. of Sanctioned staff	कार्यरत इकाई No. of staff In-Position
Accountant अंकेक्षक		
Library Assistant पुस्तकालय सहायक		
Laboratory Assistant प्रयोगशाला सहायक		
UDC उच्च श्रेणी लिपिक		
Head Clerk प्रधान लिपिक		
LDC निम्न श्रेणी लिपिक		
Peon चपरासी		
Night Watchman रात्रि प्रहरी		
Cook रसोइया		
Others अन्य		

एकीकृत डाइस प्रपत्र 2012-13 को जमा करने से पूर्व महत्वपूर्ण जाँच सूची

(Check List)

प्रत्येक बिंदु की सावधानीपूर्वक जाँच करें एवं स्वयं संतुष्ट होते हुए सही का निशान लगायें ।

खंड	विवरण	
क (I). विद्यालय सूचना अनुसूची	विद्यालय जिस राजस्व गाँव, राजस्व पंचायत, संकुल संसाधन केन्द्र में अवस्थित है उसकी सही-सही जानकारी क्र.सं. 4, 6, 7 में भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय की श्रेणी एवं विद्यालय का प्रबंधन क्र.सं. 14 एवं 18 में सही-सही भरा गया है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय के स्थापना का वर्ष, मान्यता प्राप्ति का वर्ष एवं उत्क्रमण का वर्ष क्र.सं. 21, 22 एवं 23 में सही-सही भरा गया है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय में शिक्षण का माध्यम की सही-सही जानकारी क्र.सं. 27 में भरी गयी है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के संख्या की सही-सही जानकारी क्र.सं. 34 में भरी गयी है ।	<input type="checkbox"/>
क (II). विद्यालय सूचना अनुसूची (केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए)	मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय (RTE) के अन्तर्गत आवेदित एवं नामांकित बच्चों की सही-सही जानकारी क्र.सं. 3.1 में भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित सभी जानकारियाँ क्र.सं. 3.3 के (क से च तक) सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति से संबंधित सभी जानकारियाँ क्र.सं. 3.3 के ग (1 से 12) में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
ख. विद्यालय में भवन, उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सुविधायें (विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों हेतु)	विद्यालय के भवन की स्थिति की सही-सही जानकारी क्र.सं.1 में भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	क्र.सं. 2 में विद्यालय में कुल उपलब्ध वर्गकक्षों की संख्या एवं भौतिक स्थिति के अनुसार उपलब्ध वर्गकक्षों की संख्या (अच्छी स्थिति एवं मरम्मत की आवश्यकता) में सही-सही जानकारी भरी गई है । दोनों की कुल संख्या समान होनी चाहिए ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय परिसर में शौचालय एवं मूत्रालय से संबंधित जानकारी क्र.सं. 5 में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय परिसर में पेयजल की सुविधा से संबंधित जानकारी क्र.सं. 6 में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय परिसर की चहारदीवारी से संबंधित जानकारी क्र.सं. 8 में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा से संबंधित जानकारी क्र.सं. 12 एवं 13 में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी क्र.सं. 18, 19 एवं 20 में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
मध्याह्न भोजन से संबंधित सूचनाएँ	विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति से संबंधित जानकारी क्र.सं. 1 में सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	कितने बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन लेने हेतु इच्छा जताई गई से संबंधित जानकारी सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	कितनी प्लेटें मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया से संबंधित जानकारी सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	कितने दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया से संबंधित जानकारी सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
ग. शिक्षक विवरणी	शिक्षक के प्रकार का कोड सही-सही भरा गया है ।	<input type="checkbox"/>
	शिक्षक के नियुक्ति का प्रकार का कोड सही-सही भरा गया है ।	<input type="checkbox"/>
	शिक्षक की उच्चतम शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता का कोड सही-सही भरा गया है ।	<input type="checkbox"/>
	शिक्षक के जन्मतिथि की सही-सही जानकारी सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
	विषय जिसके लिए नियुक्ति हुई है तथा मुख्यतः किन विषयों को पढ़ाते हैं का कोड सही-सही भरा गया है ।	<input type="checkbox"/>
ड, च एवं छ. नामांकन	सारिणी संख्या ड, च एवं छ में कोटि, आयु, शिक्षण माध्यम के अनुसार कक्षावार बच्चों की संख्या तीनों सारिणियों में समान है, इसकी जाँच कर ली गई है ।	<input type="checkbox"/>

खंड	विवरण	
झ, ज, ज- I एवं ज- II प्रोत्साहन/सुविधा	सारिणी संख्या झ, ज, ज- I एवं ज- II में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं सुविधाओं से लाभान्वित बच्चों की संख्या सही-सही भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
ट एवं ठ	सारिणी संख्या ट एवं ठ में विद्यालय में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा उनको उपलब्ध कराये गये निःशुल्क सुविधा/उपकरण की सही-सही जानकारी भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
ण-I, ण-II, ण-III एवं ण-IV परीक्षा में शामिल एवं उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या	सारिणी संख्या ण-I, ण-II, ण-III एवं ण-IV में परीक्षा में शामिल छात्रों एवं उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की सही-सही जानकारी भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>
थ. शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या	सारिणी संख्या थ शिक्षकेत्तर/प्रशासनिक/सहायक कर्मियों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या की सही-सही जानकारी भरी गई है ।	<input type="checkbox"/>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में भरे गए सभी सूचनाएँ मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है एवं सभी सूचनाएँ सही एवं पूर्ण हैं ।

क्र. सं.	ग्राम शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के पुत्र/पुत्री का नाम	वर्ग जिसमें पुत्र/पुत्री पढ़ाई करती हो	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में भरे गए सभी सूचनाएँ मेरे द्वारा जन-वाचन के दौरान स्थलीय जाँच कर सत्यापित किया गया है एवं भरे गए सभी सूचनाएँ सही एवं पूर्ण हैं ।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष SMC/VEC/SMDC

हस्ताक्षर
संकुल साधन सेवी/सी.आर.सी.सी

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में भरी गई सभी सूचनाएँ/ऑकड़ें मेरे द्वारा जाँची गई हैं एवं भरे गए सभी सूचनाएँ/ऑकड़ें सही एवं पूर्ण हैं ।

हस्ताक्षर
प्राखण्ड साधन सेवी

हस्ताक्षर
प्रखण्ड कार्यकारी पदाधिकारी

हस्ताक्षर
प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी